

मूदान यज्ञ

साप्ताहिक

मूदान-यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रान्ति का राष्ट्रीय वाहक

संपादक : सिद्धराज ढड्डा

वाराणसी : शुक्रवार

६ अप्रैल '६२

वर्ष ८ : अंक २७

ग्राम-स्वराज्य घोषणा

[६ अप्रैल को पिछले साल की तरह इस साल भी 'ग्राम-स्वराज्य दिवस' मनाया जायेगा।

इस दिन गाँव-गाँव में सब लोग मिल कर 'ग्राम-स्वराज्य' के लिए अपने संकल्प को दुहरायेंगे।

'ग्राम-स्वराज्य दिवस' के दिन सामूहिक पढ़ा जाने वाला घोषणा-पत्र यहाँ दिया जा रहा है। —सं०]

हम मानते हैं कि हमारा सारा गाँव एक परिवार है। एक परिवार के नाते ग्राम-समाज को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ग्राम-समाज को अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गाँव के सभी लोगों को उनके जीवन की जरूरतें सुलभ हों और समाज में रहते हुए वे यह महसूस करें कि वे पूरी तरह से सुरक्षित और स्वतंत्र हैं। यह ग्राम-समाज की जिम्मेदारी है कि गाँव में कोई न तो भूखा रहे, न बेकार। हम इस जिम्मेदारी को मानते हैं।

इसके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि बेजमीनों और बेकारों को जमीन मिले और उन्हें किसी उपयोगी उद्योग-धंधे में लगाया जाय।

गाँवों में आज बहुत-से साधन पड़े हैं। उन सारे साधनों का हम लेखा-जोखा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि गाँव की जरूरी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उन साधनों का पूरा और सही उपयोग हो।

हम चाहते हैं कि हमारा गाँव स्वावलंबी हो। गाँव को स्वावलंबी रखते हुए हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हम सारे भारतवर्ष के बड़े परिवार के एक अंग हैं और उस नाते उसकी आवश्यकता और राष्ट्रीय-एकता की दृष्टि से अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना भी हमारा फर्ज है।

हम वे सारे उपाय काम में लायेंगे, जिनसे हमारे आर्थिक जीवन में विविधता आये, हमारा रहन-सहन अच्छा हो और हमारे समाज में रहने वाले सभी लोगों की हालत सुधरे, समाज के हर एक व्यक्ति को उपयोगी और समाज की दृष्टि से हितकारी काम मिले। साथ ही इस ढंग से काम का विकास हो, जिससे गाँव के पढ़े-लिखे लोगों को आज शहर की तरफ जाने की जो रुचि है वह रुके। योजना इस तरह की हो, जिसमें पढ़े-लिखे नौजवान गाँव में रह कर अपनी शक्ति और बुद्धि का विकास कर सकें और उनकी बुद्धि-शक्ति का गाँव को पूरा लाभ मिले।

खादी अहिंसक समाज-रचना की प्रतीक है। आज खादी गाँवों के हजारों-लाखों गरीबों और उपेक्षितों के लिए आशा का चिह्न है, रोजी-रोटी का एक साधन है। नया मोड़ और ग्राम-इकाई का नया विचार गाँव के लिए प्रेरणादायी विचार है। उसी के आधार पर हमें गाँव के सर्वांगीण विकास का संयोजन करना चाहिए।

कृषि-उद्योगप्रधान अहिंसक समाज-रचना में खादी और ग्रामोद्योगों का बहुत बड़ा महत्त्व है, यह हम मानते हैं। हम गाँव के आर्थिक जीवन की रचना नये सिरे से इस तरह करेंगे, जिससे उस नवनिर्माण में खादी-ग्रामोद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान हो और समाज में सबके लिए स्वतंत्रता और समानता की स्थिति कायम रह सके।

हम घोषणा करते हैं कि हम सारी शक्ति इस प्रकार के सहकारी, समन्वित और एकरस समाज के निर्माण में लगायेंगे।

इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे सारे प्रयत्न सफल हों, यही कामना है।

नोट :—यह घोषणा दिनांक ६ अप्रैल, १९६२ को भारत के गाँव-गाँव में गाँववासियों में से कोई एक व्यक्ति एक-एक वाक्य पढ़े तथा सारे लोग मिल कर दोहरायें।

गृहस्थाश्रम से मुक्त होकर लोक-सेवा में लगें

विनोबा

सुबह लोगों ने माधवदेव का एक पद्य सुनाया। अपने देश में समाज की एक बहुत बड़ी रचना हुई थी। मनुष्य गृहस्थाश्रम में विधिपूर्वक प्रवेश करता था और विधिपूर्वक उसमें से मुक्त होता था। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर आखिर तक उसी में रहे, ऐसा नहीं था; बल्कि थोड़े वर्षों के अनुभव के बाद परिवार की आसक्ति से मुक्त होने का धर्म हमने माना था। माधवदेव ने उसी धर्म का उल्लेख अपने पद्य में किया।

“हे कृष्ण पुत्र पत्नी संग तजी, त्यजु पद चित्त नित।

गर्वशून्य संत सबर आश्रमे जाइब।

ता संबार मुख पद्मे बाज तनु कथामृत नदी।

ताते मग्न होइया देहेर हान एराइबो।”

यह वानप्रस्थाश्रम का उल्लेख है।

भगवान तो सब दूर भरे हैं, गृहस्थाश्रम में, गृह में भी भगवान का निवास है। जब तक गृहस्थाश्रम चला उस भगवान की सेवा हुई। लेकिन वह छोटे भगवान थे। व्यापक भगवान की भी सेवा करनी चाहिए, याने नर-समूह में जो भगवान हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, ऐसे सेवक को मर्कों ने नारायण-परायण कहा है। सत्ययुग में ध्यान होना चाहिए, त्रेतायुग में यज्ञ होगा, द्वापर में पूजा होगी, तो कलियुग में क्या होगा? कलियुग में लोग नारायण-परायण होंगे।

कलियुग में हमने यह देखा कि गांधीजी, स्वामी दयानंद, स्वामी राम-तीर्थ, विवेकानंद, दादाभाई, श्रीअरविंद आदि सबके सब लोगों की सेवा में लगे। क्या चमत्कार है कि कलियुग में लोग नारायण-परायण बनें? थोड़े दिन गृहस्थाश्रम करने के बाद अपने चित्त को विषय-वासना से अलग हटा कर, घर की चिंता बड़े लड़के पर या छोटे भाई पर सौंप दे। कभी सलाह दे, लेकिन अपना सब समय लोक-सेवा में लगाना चाहिए, याने लोगों के हित की चिंता करनी चाहिए।

आजकल मुझे यही चिन्ता होती है कि लोक-सेवा के लिए सेवक कहाँ से मिलेंगे? सरकार के ५५ लाख नौकर हैं, वे सेवा तो करते हैं, लेकिन वह सरकार की सेवा है, ‘नारायण’ की सेवा नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक दलों में काम करते हैं, उसमें भी सूत्रम स्वार्थ भरा है, केवल परमार्थ नहीं। अपने दल का ल्याल, कुछ अपना भी ल्याल, कुल समाज की सेवा होती है, ऐसा भास नहीं होता है। निष्काम सेवा नहीं हो रही है। इसलिए निष्काम सेवा के लिए सेवक कहाँ से

इस जमाने की यह माँग है कि समाज राजनीति से मुक्त हो जाय—भले ही एक विश्वयुद्ध होने के बाद हो, मुझे धीरज है, होगा शांति से। मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि उसके बिना दुनिया टिकेगी नहीं।

आयेंगे, यह मेरे सामने समस्या है।

यह सारे प्रश्न जब मेरे सामने आते हैं, तब मुझे वानप्रस्थाश्रम यदि आता है। माधवदेव ने गाथा : “पुत्र पत्नी संग तजी”—यह वानप्रस्थाश्रम है। माधवदेव का यह भजन आपने सुनाया तो भक्ति-भाव से हृदय भर आया। यही भारत की सभ्यता है। गृहस्थाश्रम में चंद दिन रह कर उसमें से मुक्त होते हैं, आजीवन उसमें नहीं रहेंगे।

कहाँ गये वह महामहंत? वे क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं? निज स्थान में बैठे रहते हैं और धर्म-प्रचार के लिए बाहर निकलते हैं, तो क्या यह धर्म-प्रचार नहीं है? जिस जमीन के लिए भाई-भाई के बीच झगड़े होते हैं, वह जमीन हम प्रेम से दूसरे को दिलते हैं। क्या यह धर्म-विचार नहीं है? इस धर्म विचार के प्रचार के लिए बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? ये सब बातें लोग धर्म-विचार से प्रेरित होकर गाँव-गाँव घूम कर लोगों को समझा सकते हैं।

निरंतर घर में रहना हमारे ख्याल से गलत है। कुछ दिनों तक अनुभव ले लिया, और फिर ‘नारायण’ की सेवा के लिए निकल पड़े। हम संन्यास की दीक्षा दिलाना नहीं चाहते हैं। वह कितनी गंभीर बात है, यह मैं जानता हूँ। लेकिन विषयासक्ति से चित्त को हटाओ और लोगों की सेवा में मानव के नाते लग जाओ। हम पक्षवाली सेवा में नहीं मानते, उसमें सार नहीं है। ऐसी राजनीति को जाना ही होगा। छोटे धर्म-पंथ हैं, उनको तोड़ना होगा। विज्ञान और आत्मज्ञान आवेगा, यह तो

मैंने सतत कहा है। कीर्तनघोषा में है : “राजनीति राक्षस शस्त्र”—अर्थात् राजनीति याने राक्षसों का शस्त्र! यह राजनीति खत्म होगी, तभी दुनिया बचेगी। राजनीतिज्ञों के हाथ में दुनिया अत्यंत खतरे में है।

इस जमाने की यह माँग है कि समाज राजनीति से मुक्त हो जाय—भले ही एक विश्वयुद्ध होने के बाद हो, मुझे धीरज है। होगा

शांति से, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि उसके बिना दुनिया टिकेगी नहीं। ग्रामदान तो मिल रहे हैं, सेवक चाहिए। लाखों वानप्रस्थ लोग जो

हर कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, लेकिन गृहस्थाश्रम से हर कोई मनुष्य निवृत्त हो सकता है, हर एक को होना चाहिए। यहाँ के धर्म की यही आज्ञा है।

कि संसार का अनुभव कुछ ले चुके हैं, जिनकी वृत्तियाँ शांत हो चुकी हैं, जिनके चित्त में समत्व है, अब निकल पड़ें।

भागवत में एक विचार आया कि चोर और दाता दोनों समान हैं। भागवत में है कि स्तेन और ब्रह्मण्य को समान मानना चाहिए। ब्रह्मण्य शब्द का सीधा अर्थ दाता नहीं होता है। लेकिन शंकरदेव का भावार्थ ठीक है। वह तर्जुमा करने वाले नहीं थे, अपना विचार रखने वाले नहीं थे। भागवत की खूँटी पर विचार रख दिया। तुम अगर दाता नहीं बनते हो तो चोर बनोगे। प्रेम से देता है, वह दाता है, वैसा जो नहीं देता है, उसे चोर आकर लूट लेते हैं। आपके घर की संपत्ति से छुड़ाने वाला या तो दाता है या तो चोर आकर छुड़ाता है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को ले गये। रुक्मिणी ने ले जाने के लिए पत्र लिखा था। रुक्मिणी का कन्या-संप्रदान नहीं हुआ था। अब कन्या-संप्रदान और कोई कन्या छीन ले जाय—

उसमें कुछ फर्क होगा या नहीं? कन्या-संप्रदान में दोनों पक्षों में प्रेम बढ़ेगा। यह जो फर्क है, वही ग्रामदान और जमीन छीन लेने की बात में है। एक चोर विचार है, दूसरा दाता विचार है। शंकरदेव कहते हैं कि दाता और चोर समान हैं। अब सब दाता बनते हैं, तो समाज की उन्नति होती है और चोरी होती है तो समाज की उन्नति नहीं होती है। संपत्ति के वितरण का काम हो गया। उसके अलावा हमें और भी काम करने हैं। सबके दिलों को जोड़ना है, वह संपत्तिहरण से नहीं होगा, संपत्तिदान

से होगा, ग्रामदान से होगा।

आज इतने ग्रामदान हो रहे हैं तो क्या अखबार में इसके समाचार आते हैं? यह तो प्रेम का काम हुआ। अगर मान लीजिये कि किसी गाँव के भूमिहीन लोग, मजदूर लोग उठ कर मालिकों का कत्ल करके जमीन छीन लेते हैं तो कुल दुनिया के सब अखबार में रिपोर्ट छपेगी कि फलाने गाँववाले उठ खड़े हो गये, बड़े-बड़े जमीनवालों को दबाया, मारपीट करके लोगों को भगा कर जमीन छीन ली, तो सबका ध्यान एकदम जायगा। ऐसी हालत में काम करने के लिए शीलवान, चरित्रवान्, प्रेम से भरे हुए, विषय-वासना से मुक्त हुए वानप्रस्थ लोग चाहिए, तब यह आंदोलन जोर करेगा।

हर कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, लेकिन गृहस्थाश्रम से हर कोई मनुष्य निवृत्त हो सकता है, हर एक को होना चाहिए। यहाँ के धर्म की यही आज्ञा है। [टीटावर, शिवसागर, ४-१२-६१]

पढ़ना-लिखना बनाम ज्ञान-प्राप्ति

पुराने में एक कहानी मुहम्मद साहब खुद कहते हैं—वे पढ़े-लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर पहली दफा हमारे पास आये तो उन्होंने अपना रूप प्रकट नहीं किया। अव्यक्त में खड़े हो गये और हमारे सामने उपदेश के तौर पर एक चिट्ठी फेंकी। उसमें कुछ लिखा था। हमने ईश्वर से कहा कि भगवान, हम तो लिखना-पढ़ना नहीं जानते, इसलिए हमारे लिए आपकी चिट्ठी बेकार है। तब भगवान ने हमें दर्शन दिये। वे प्रकट हो गये और उन्होंने उपदेश दिया।

मुहम्मद कहते हैं कि अगर हम पढ़ना-लिखना जानते तो हम न भगवान को देख सकते, न उनकी वाणी सुनते। भगवान को प्रकट होना पड़ा, बोलना पड़ा। वे पढ़ना-लिखना नहीं जानते थे तो क्या उनके पास ज्ञान कम था? यह पुराने जमाने की बात हो गयी। इसी जमाने में रामकृष्ण परमहंस हो गये। वे पढ़ना-लिखना बहुत थोड़ा जानते थे, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी थे। हमारे सामने यह बड़ी भारी कितान खुली है। ये चन्द्र, सूर्य, पेड़, पहाड़, खेती, गाय, बैल, घोड़े, पत्नी

उड़ रहे हैं और सब मानव सामने हैं। यह सब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। तो पढ़ना-लिखना क्या जरूरी है? सुनने से भी ज्ञान होता है। गुड़ मीठा होता है, यह आपने पढ़ा। लेकिन खाया नहीं, फिर भी ज्ञान आपको हो गया। आप लोगों को समझा सकते हैं कि भाई, गुड़ मीठा होता है। इसलिए पढ़ना-लिखना आया तो ज्ञान होता है, यह गलत खयाल है।

—विनोबा

[शिवसागर, असम १३-१०-६१]

भूदानयज्ञ

लज्जाजनक

लोकनागरी लिपि *

सत्ता-नौरपेक्ष सेवा

लोग सेवा का नाम लैत-लैत अनूत मे सत्ता-परायण बनते हैं। पहले तो वे सत्ता का सेवा का साधन समझते हैं और फिर धीरे-धीरे सत्ता ही अंनकठे देवता बन जाती है! जहां सत्ता देवता बन जाती है, वहां असकठे रक्षा का प्रश्न अठता है, फीर सारा अवलम्बन हीसा पर होता है, जीसका फल बीज्जान के औस युग मे बहुत छतरनाक होगा। औसका भान अब कूख-कूख वीचारकों को हो रहा है। कानूत, औसके छुटकारा कौसे पाया जाय, औसके राह कौसे को सूझ नहीं रहे है।

मैने सुझाया है की अगर हम जनता के बड़े-बड़े मसलों का हल जन-शक्ती याने अहीसा-शक्ती से नीकालने की कोशीश करगे, तो सत्ता-परायण बनने की दृष्टी से छुटकारा पाया जा सकता है। औसलोके भूदान-यज्ञ के आन्दोलन की ओर देखने की दृष्टी गहरा होनी चाही।

सत्ता-नौरपेक्ष सेवा कौसे हो, सेवा के द्वारा शक्ती कौसे पैदा हो, समाज को केवल सुरक्षित नहीं, बल्की स्व-रक्षित कौसे बनाया जाय, यह दूढ़ना चाही।

भूदान-यज्ञ असका आधार है, यह अके महान कार्य है; औतनी व्यापक दृष्टी रख कर भूदान-यज्ञ का काम करना चाही।

पिछले चुनाव के बाद प्रदेशों में जो नये मंत्रि-मंडल बने हैं, उनमें एक बात सामान्य नजर आती है, वह है, उनका बड़ा डीलडौल! पिछले मंत्रि-मंडलों की तुलना में इस बार करीब-करीब सब प्रदेशों में मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, कुछ प्रदेशों में तो ५० प्रतिशत तक!

मिसाल के तौर पर पंजाब में मंत्रियों की संख्या १८ से बढ़कर २७ और उत्तर प्रदेश में ३० से ४५ तक हो गयी है। मैसूर मंत्रि-मंडल में यह संख्या २० से २४ और महाराष्ट्र में २६ से ३१ तक पहुँच गयी है। नीचे दी गयी तालिका से शत होगा कि सभी प्रदेशों में मंत्रियों की संख्या बढ़ी है।

तालिका से यह भी मालूम होगा कि बारहों प्रदेशों में जो मंत्रि-मंडल बने हैं, वे पिछले मंत्रि-मंडलों से बड़े हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रि-मंडल यद्यपि छोटा दिखाई देता है, किन्तु वह अभी अधूरा है। वारतव में इन १२ में से ७ प्रदेशों में अभी मंत्रि-मंडलों का विस्तार और होगा ऐसी घोषणा की गयी है।

मंत्रि-मंडल 'व्यापक आधार' पर बनाये जायँ, यह सुझाव देने का कांग्रेस दल के 'आला कमान' का चाहे जो उद्देश्य रहा हो, किन्तु इसका परिणाम कुछ अजीब ही निकला है।

हम यह स्पष्ट कहने के लिए जमा-प्रार्थी हैं, लेकिन यह दिखता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की मुख्य भावना खुदगर्जा, स्वार्थपूर्ति की है। दल के प्रति निष्ठा की कीमत है, मंत्रि-पद! यह बुराई कितनी गहराई में गयी है, उसका अंदाजा इस तथ्य से लगता है कि इस बार कई प्रान्तों में प्रत्येक ४-५ या ६ कांग्रेसियों के पीछे एक व्यक्ति मंत्रि-मंडल में है।

और यह सब ज्यादाती चल रही है उस गरीब करदाता के बल पर, जिनके प्रतिनिधि होने का दावा ये लोग करते हैं। केवल एक

मद्रास प्रदेश के अनुकरणीय उदाहरण को छोड़ कर, सब प्रदेशों में मंत्रि-मंडल में भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ—मंत्री, राज्यमंत्री, उप-मंत्री, विधान-सभा सचिव—कायम करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। निःसंदेह यह श्रेणी-विभाजन काम की दृष्टि से नहीं, अपितु उन व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है, जिनका दल में कम या ज्यादा महत्त्व है, अर्थात् कितना कितने विधान-सभा के सदस्य साथ दे सकते हैं।

यह सब कुछ बहुत लज्जाजनक है! दुनिया की आँखों में भारतीय लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा इस प्रकार के स्वार्थ, राजनैतिक पक्षपात और फिजूलखर्ची के खुले प्रदर्शन से बढ़ नहीं सकती है। जब कि देश की आर्थिक अवस्था गिरी हुई और सामान्य नागरिक अत्यन्त गरीब है और उसे आये दिन देश के विकास के लिए खाने-पीने, पहनने में भी कमी करने के लिए कहा जाता है—उस हालत में इस तरह स्वार्थ की होड़ से आपस में पदों का बँटवारा कर लेना क्या ज्यादाती नहीं है? क्या यही वह विकास है, जिसके लिए सामान्य नागरिक को पेट पर पट्टी बाँधने के लिए कहा जाता है?

करुणामय क्रांति

छुधियाना के सरकारी महिला विद्यालय के पारितोषिक वितरण-समारोह के अवसर पर भाषण देते हुए देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० वी० के० आर० वी० राव

प्रदेशों के मंत्रि-मंडल : १९६२

प्रदेश	मंत्रि-परिषद स्तर के मंत्री	राज्य-मंत्री	उपमंत्री	विधान-सभा सचिव	कुल संख्या	पिछले मंत्रि-मंडल की संख्या	विधान सभा के कांग्रेस-सदस्य
आंध्र	११	६	१७*	१२	१७६+
असम	१०	२	३	...	१५	१२	७९
बंगाल	१६	११	१०	...	३७*	३६	१५७
बिहार	९	४	८	...	२१*	३३	१८५+
गुजरात	८	...	८	१	१७	१३	११३
मध्यप्रदेश	११	...	४	...	१५*	२२	१४२
मद्रास	९	९	८	१३८+
महाराष्ट्र	१७	...	१४	...	३१	२६	२१४+
मैसूर	१४	...	१०	...	२४*	२०	१३८+
पंजाब	१०	८	७	२	२७	१८	९०+
राजस्थान	८	...	८	...	१६*	१४	८८
उत्तर प्रदेश	१७	५	११	१२	४५*	३०	२४८+

सूचना : जम्मू और काश्मीर के चुनाव पूरे नहीं हुए हैं। केरल और उड़ीसा में मध्यावधि में पहले ही चुनाव हो चुके थे।

* इन प्रदेशों के मंत्रि-मंडलों में और भी विस्तार किया जाने वाला है।
+ वे प्रदेश, जहाँ विधान-सभा के साथ-साथ विधान-परिषद भी है।

[गया, ३१-३-५४] -वीनाबा
* लिपि-संकेत : ि = ी, ी = ४, ख = छ
संयुक्ताक्षर हलंत चिह्न से।

भूदान-यज्ञ, शुक्रवार, ६ अप्रैल, '६२

घूसखोरी का इलाज क्या ?

• काका कालेलकर

उत्कोच याने घूसखोरी के बारे में सब लोग बीच-बीच में बोलते हैं, लिखते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन सारे देश में कहीं भी घूसखोरी के खिलाफ किसी ने कमर कसी है, ऐसा दीख नहीं पड़ता। हमने इसके पहले लिखा ही है कि घूसखोरी हमारा प्राचीन और स्वदेशी पाप है। यह कह कर हम अपना बचाव नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ घूसखोरी थी ही नहीं, पठान, मुगलों के साथ आयी अथवा पुर्तगाली, फ्रेंच अथवा अंग्रेज उसे ले आये। हम यह भी नहीं कह सकते कि पुर्तगाली, पठान, फ्रेंच और अंग्रेज लोगों ने घूसखोरी का निमूलन करने की कभी कोशिश की।

अंग्रेजों ने इसका कुछ इलाज किया सही। जो लोग गरीब हैं और जिनको तन-स्वाह भी कम मिलती है, ऐसे लोग घूस ले तो उसमें आश्चर्य ही क्या ? इलाज एक ही है कि नौकरों को पूरी तनस्वाह दो, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाओ। फिर तो उनको घूस लेने की इच्छा ही नहीं होगी और इच्छा हुई तो हिम्मत नहीं होगी। घूस लेकर आदमी जितना ऐशआराम में रहना चाहता है, उतनी तनस्वाह अगर अंग्रेजों को मिली तो उसकी कुछ-कुछ तृप्ति होगी।

अनुभव तो यह है कि लोभ की तृप्ति होते ही वह बढ़ता है। तनस्वाह बढ़ाने से घूसखोरी बन्द हुई है, ऐसा तजुर्बा भी नहीं है। इसे उलटा ज्यादा तनस्वाह-वाले को उसके योग्य घूस की रकम बढ़ानी पड़ती है।

हम यह भी नहीं कह सकते कि गरीबों में घूसखोरी ज्यादा है, धनी लोगों में कम है। जब कभी न्यायनिष्ठा और निःस्पृहता के उदाहरण सामने आते हैं, तब ज्यादातर वे गरीब वर्ग में से ही पाये जाते हैं। गरीब आदमी अपने मन में सोचता है—गरीबी तो मेरे लिए सदा की है ही। घूस लेकर मैं थोड़े ही धनी बनने वाला

के समझ-बूझपूर्वक समरस समाज की स्थापना की जा सके।

परिस्थिति की इस अनुकूलता के साथ-साथ एक-दूसरा भी महत्त्वपूर्ण और गहरा कारण है, जिसकी वजह से हिन्दुस्तान में वर्ग-संघर्षों के बिना वर्ग-विहीन समाज की स्थापना सम्भव है। वह कारण है, यहाँ के दीर्घकालीन संस्कारों और परम्पराओं के कारण इस प्रकार के परिवर्तन के लिए जनता की मानसिक तैयारी। सदियों से निरंतर यहाँ के जनमानस पर संतों ने मान-वीय एकता, उदारता, सहिष्णुता, त्याग और भाईचारे के आदर्श की छाप डाली है। इस सारी विरासत का फायदा आज हमें मिल सकता है। गांधीजी ने अपने जीवन-काल में निरंतर इस आदर्श के लिए प्रयत्न किया और पिछले दस वर्षों से विनोबा सतत इसका प्रचार करते हुए देश भर में पैदल घूम रहे हैं। हिन्दुस्तान के लिए वास्तव में अभी तक एक सुनहला मौका है, जब कि वह दुनिया को "करुणा-मय क्रांति" की एक नयी राह दिखा सके। समता और वर्ग-विहीन समाज की स्थापना युग की माँग है, उसे रोकना नहीं जा सकता। वर्ग-संघर्ष अब तक उसका तरीका रहा है, पर वह असफल ही नहीं, उल्टा नुकसानदेह भी साबित हुआ है। क्या हिन्दुस्तान एक नयी राह दिखा सकेगा ?

—सिद्धराज

हूँ ! घूस लेकर मैं अपना परलोक क्यों बिगाड़ूँ ?

यह भी पाया गया है कि श्रमजीवी गरीब लोग कई दफे दान भी नहीं लेते। कहते हैं, हमारे पास धन-दौलत नहीं है सही, लेकिन हमारे पास अपनी आब्रू तो है। किसीसे दान लेकर हम कमीने क्यों बनें ?

जो हो, जबसे अंग्रेजों का राज शुरू हुआ, कर्मचारियों को पहले कभी नहीं थीं, इतनी अच्छी तनस्वाहें मिलने लगीं। (अंग्रेजों को जितनी मिलती थीं, उतनी तो कभी भी नहीं मिली, यह बात अल-हिदा।)

बड़ी-बड़ी तनस्वाहें देकर अंग्रेजों ने हमारे लोगों की निष्ठा खरीद ली और हमारे लोगों के द्वारा अन्याय चलाना उनके लिए आसान हो गया। बड़ी तन-स्वाह वाली और पेन्शनेबल नौकरी आसानी से कोई छोड़ता नहीं।

ऐसी विचित्र परिस्थिति में हम स्वतंत्र हुए हैं और देश का राज हमारे हाथ में आया है। हम कैसे अपेक्षा करें कि स्वराज्य होते ही घूसखोरी एकदम बन्द हो जाय ? अगर हम इतना भी कह सकते कि स्वराज-सरकार के प्रयत्न के कारण घूसखोरी बहुत कुछ कम हुई है तो भी हमें संतोष होता। लेकिन ऐसा कहने की स्थिति भी आज नहीं है। आज हम अधिक-से-अधिक इतना ही कह सकते हैं कि घूसखोरी बढ़ी नहीं है, लेकिन इतने से किसको संतोष होगा ?

और जब हम सुनते हैं और देखते हैं कि घूसखोरी में हमसे भी ज्यादा प्रवीण चीन देश में साम्यवादी सरकार होते ही घूसखोरी एकदम बन्द हो गई है, मन विचार करने लगता है कि इस एक बात में तो साम्यवाद का वायुमंडल डेमोक्रेसी की अपेक्षा अधिक शुद्ध है और उसका नैतिक स्तर ऊँचा है। रशिया और अमेरिका दो देशों की तुलना आजकल बार-बार की जाती है। कहते हैं, रशिया में घूसखोरी के लिए अवकाश ही नहीं है। घूस लेकर आदमी करे क्या ? ज्यादा ऐशआराम में वह रह नहीं सकता और घूस का धन संभालना भी मुश्किल है।

जो हो, घूसखोरी की थोड़ी-थोड़ी चर्चा करके और अपना पुण्य-प्रकोप जाहिर करने से स्थिति सुधरनेवाली नहीं है।

अंग्रेजों के दिनों से हम एक दलील हमेशा सुनते आये हैं। आज भी अल-बार वाले और समाज के नेता उसीको दुहराते हैं, तब दर्द होता है।

जिन लोगों को कानून के खिलाफ जाकर अन्याय लाभ उठाना होता है वे तो कर्मचारियों को घूस देंगे ही। कर्मचारियों को खालच में गिराये बिना वह अन्याय का काम, अधर्म का काम और जोखिम का काम क्योंकर करेगा ? ऐसे किस्सों में घूस देनेवाला और लेने वाला दोनों एक-से अपराधी हैं। कानून का तन्त्र अगर शुद्ध रहा, तो दोनों को सजा होनी चाहिये, होगी भी। इसके बारे में कोई शिकायत नहीं हो सकती। ऐसे किस्सों में घूस देने-वाले को अगर ज्यादा सजा हुई तो किसी को तनिक भी एतराज नहीं होगा। लेकिन ऐसे किस्सों में दोनों पक्ष बड़े चालाक होते हैं। शायद ही पकड़े जाते हैं और पकड़े गये भी तो सजा से बचने के कई तरीके उनके पास होते हैं और समाज का और सरकार का तन्त्र ही कुछ ऐसा विचित्र है कि बचने वालों को आसानी से मदद मिल सकती है।

हमारे दिल के सामने दूसरे ही किस्म के हजार प्रसंग हैं, जहाँ घूस देने वाला सज्जन है, कानून के खिलाफ कुछ करना या करवाना चाहता भी नहीं है, उसकी माँग सीधी होती है, और तो भी कर्मचारी वक्र और चालबाज होने के कारण उसे परेशान होना पड़ता है, काफी आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। जो काम आसानी से और तुरन्त होना चाहिये उसके लिए दस दफा धक्का खाना पड़ता है। चीजें बिगड़ती हैं। औरों के साथ किये हुए वादों का पालन नहीं हो सकता। प्रतिष्ठा खोनी पड़ती है और कभी-कभी अपनी या मरीजों की जान का खतरा भी मोल लेना पड़ता है।

घूस लेने वाला जब चालाक और निर्दय होता है, तब वह तरह-तरह के बहाने आगे करता है, तरह-तरह के कानून सामने पेश करता है और धर्मात्मा बन कर कहता है—मैं क्या करूँ, कानून ही ऐसे हैं। मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ ?

आप ऐसे कर्मचारी का कुछ भी कर नहीं सकते। जिनके हाथ के नीचे ये कर्म-चारी काम करते हैं, वे ऊपर के लोग भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते।

फिर तो मुसीबत में पड़ा हुआ आदमी मन में कहता है कि मैं घूसखोरी के खिलाफ कहाँ तक लड़ूँ ? लड़ने का मेरा माहा ही खतम हो गया है। पाप तो पाप, लेकिन घूस दिये बिना चारा ही नहीं। या तो धन्धा-रोजगार छोड़ कर बाबा बन करके बैठ जाऊँ, बीबी और बाल-बच्चों की झंझट भी न रखूँ, या घूसखोरी के खिलाफ लड़ते-लड़ते तबाह हो जाऊँ। अगर इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ तो लाचारी से जो भी देना पड़े, देकर छुट्टी पाऊँ।

और हमारे राजतन्त्र की और सामा-जिक मानस की खूबी ऐसी है कि जो घूस देता है वह कभी शिकायत कर ही नहीं सकता। देने वाले ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसका अपराध सिद्ध हुआ। उसे तो सजा होनी ही चाहिये। और तुरन्त वही सनातन सूत्र सुनना पड़ता है कि घूस देने वाला अगर न होता तो कोई घूस लेता कैसे ? असली गुनाह देने वाले का है।

बात सही है, लेकिन इसके पीछे असाधारण कठोरता है और पाप-निवारण की वृत्ति नहीं, किन्तु न्याय माँगने वाले का मुँह बन्द करने की वृत्ति है। दीन-दुखी दुनिया को इससे मदद नहीं मिलती। धर्म, कानून और न्याय जब कठोर बनते हैं, तब मानवता रोती है और गरीबों के आँसू पोंछने के लिए उपन्यासों का सहारा लेती है। धर्मशाला में, मुसाफिरखानों में और रेल्वे के थर्ड क्लास के डिब्बों में गरीबों का सच्चा दुख सुनने को मिलता है। जब जेल की सजा भुगतने वाले गरीब कैदी आपस में बात करते हैं, तब उस समय भी सारा पूरा सत्य प्रगट होता है। और धर्म, कानून और न्याय कितने कठोर होते हैं और उनमें मानवता का कितना अभाव होता है इसका प्रत्यय मिलता है।

घूसखोरी की चर्चा हम दिन-रात करें। घूसखोरी के खिलाफ कड़े-से-कड़े कानून करने हैं तो वे भी करें। लेकिन भूलना नहीं चाहिये कि कड़े कानून से घूस लेने के नये और सूक्ष्म मौके पैदा होते हैं। घूस देने वाले और लेने वाले ही घूसखोरी के खिलाफ जोरों से आन्दोलन करने लगते हैं। कालबाजार के दिनों में उस गुनाह के प्रवीण लोगों की आवाज काफी जोरों से सुनाई देती थी कि गुनहगारों को कड़ी-से-कड़ी सजा होनी चाहिये।

हमें तो एक ही इलाज दीख पड़ता है कि चारित्र्यवान समाज-सेवक धार्मिकता का वायुमंडल पैदा करने में लग जायें। समाज-हृदय को जाग्रत कर और ऐश-आराम, धन-दौलत और अधिकार-लोलुपता की सामाजिक प्रतिष्ठा तोड़ते जायें। कानून से नहीं, किन्तु सदाचार की तेजस्विता से ही घूसखोरी का इलाज हो सकेगा।

(‘मंगल प्रभात’ से)

सर्वोदय-समाज की स्थापना के लिए विनोबाजी ने देश को अनेक क्रांतिकारी कार्यक्रम दिये, उनमें 'शान्ति-सेना' के कार्यक्रम का अपना एक विशिष्ट स्थान है। यों तो शान्ति-सेना का विचार बापू ने दिया और वे उसके 'प्रथम सेनापति और प्रथम सिपाही' बन कर चले गये, तथापि विनोबाजी ने १९५७ में केरल-यात्रा के समय शान्ति-सेना की पहली टोली का संगठन कर बापू की कृपा को साकार किया। शान्ति-सेना में कितनी संभावनाएँ एवं शक्ति है, यह तो अभी प्रकट होना शेष है, लेकिन इस विचार ने मानव-कल्पना को पकड़ लिया है, यह विश्व-स्तर पर संगठित 'विश्वशान्ति-सेना' तथा अफ्रीका में उसके प्रस्तावित प्रयोग से झलकता है।

शान्ति-सेना की स्थापना के समय से ही अपने देश में उसके जहाँ-तहाँ प्रयोग होते रहे हैं और कहीं-कहीं अच्छी सफलता भी मिली है। किन्तु जैसे संगठन की अपेक्षा है, वैसा अभी नहीं बन सका है। गोआ में सैनिक कार्यवाही ने इस बात को गहराई से सोचने का अवसर दिया है। शान्ति-सेना की छोटी-छोटी टोलियाँ स्थान-स्थान पर संगठित हों, जो बृहत् शान्ति-सेना की इकाइयों का काम करें, तो शीघ्र शक्ति प्रकट होगी, ऐसी मान्यता है।

प्रयाग के सर्वोदय-मित्रों में शान्ति-सेना-टोली बनाने का विचार कुछ समय से चल रहा था। गत वर्षों में नगर में हुई घटनाओं—जैसे मानसरोवर गोली-काण्ड, विश्वविद्यालय में छात्रों के झगड़े आदि—में शान्ति-सैनिकों ने काम किया था। नगर महापालिका के गत चुनाव के अवसर पर भी कुछ शान्ति-सैनिकों ने शान्ति-स्थापना का कार्य किया। तीसरे महानिर्वाचन के समीप आने से नगर के वातावरण में तनाव और अशान्ति की आशंका थी। अतः इस अवसर पर अधिक संख्या में शान्ति-सैनिकों की टोली काम करे, ऐसा निश्चय किया गया। इसका उद्देश्य था—चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से और सुगमतापूर्वक सम्पन्न हों, तनाव और संघर्ष के कारणों का अहिंसक एवं शान्ति-मय साधनों द्वारा निराकरण हो और यदि कभी उपद्रव अथवा विषम स्थिति उत्पन्न हो तो व्यक्तिगत जोखिम उठा कर भी उसका सामना किया जाय।

पूर्व-तैयारी

हमारी शान्ति-सेना-टोली में ४५ सेवक थे, जिनमें २ बहनें, विश्वविद्यालय १८ के छात्र तथा शेष सर्वोदय-मित्र थे। नगर में चुनाव २५ फरवरी को था। प्रशिक्षण की दृष्टि से १७ तथा २३ फरवरी को दो गोष्ठियाँ हुईं, जिनमें अहिंसा तथा शान्ति-सेना विचार पर प्रकाश डाला गया और शान्ति-सैनिक के गुण, कार्य-पद्धति एवं कर्तव्य पर विशद चर्चा हुई।

अपने कार्य के अनुकूल वातावरण निर्माण करने के लिए कुछ कार्यकर्ता २१ फरवरी से ही नगर के विभिन्न बाड़ों और मुहल्लों में घूमते रहे तथा स्थिति का अध्ययन करते रहे। समाचार-पत्रों द्वारा अपने कार्यक्रम की जानकारी करायी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के पास अपने कार्यक्रम के प्रस्तावों की प्रतियाँ भेजीं।

चुनाव से दो दिन पूर्व, २३ फरवरी को सायंकाल ५ बजे शान्ति-सेना का जुलूस

निकला। सभी शान्ति-सेवक सिर पर हरा रुमाल बाँधे थे तथा बाँह पर हरी पट्टी, जिस पर 'शान्ति सेवक' लिखा था! अहिंसा, प्रेम और शान्ति का सन्देश देने चल पड़े शान्ति के सिपाही! नगर के मुख्य स्थानों पर हम लोग घूमे। अजीब दृश्य था। चुनाव-प्रचार का अन्तिम दिन होने के कारण विभिन्न दलों का प्रचार-कार्य चरम सीमा पर था। उनके बड़े-बड़े जुलूस निकल रहे थे, लाउडस्पीकों की ध्वनि कोलाहल उत्पन्न कर रही थी। लोगों में बड़ा मानसिक तनाव था। ऐसे वातावरण में शान्ति-सैनिक गाते जा रहे थे—

शान्ति के सिपाही चले।
क्रान्ति के सिपाही चले।
बंद भाव तोड़ने,
दिल को दिल से जोड़ने,
काम को सँवारने,
जान अपनी वारने,
शान्ति के सिपाही चले।

बीच-बीच में नारे भी लगाते थे—

हमारा मंत्र—जय जगत,
हमारा लक्ष्य—विश्व-शान्ति,
हमारे साधन—सत्य, अहिंसा।

सड़कों पर भीड़ बड़े कौतूहल से हमें देख रही थी। हमारे साथ लाउड-स्पीकर नहीं था, अतः हमारी बात सुनने के लिए कहीं-कहीं दलों ने अपने लाउड-स्पीकर भी बन्द कर दिये। लोग अनेक प्रश्न पूछते थे। जुलूस के पीछे के हमारे साथी उनको जानकारी देते थे। हम २॥ घण्टे तक नगर के प्रमुख स्थानों पर घूमे। सभी साथियों को बड़ा उत्साहवर्धक अनुभव हुआ। साथ ही हमारे कार्यक्रम की जानकारी लोगों को हो गयी।

मतदान-दिवस का कार्य

नगर में दो चुनाव-क्षेत्र थे, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र में लगभग २५ मतदान-केन्द्र थे। कार्य को सुविधा की दृष्टि से हमने प्रत्येक क्षेत्र को

चार वृत्तों में बाँट लिया और प्रत्येक वृत्त में शान्ति-सेवकों की एक छोटी टोली तैनात हुई, जिसमें ५-६ शान्ति-सेवक थे। इस प्रकार हमारी आठ टोलियाँ नगर के प्रत्येक क्षेत्र में शान्ति-स्थापना का कार्य मतदान के समय प्रातः ८ बजे से सायंकाल ५ बजे तक लगातार करती रहीं। कुछ साथी सभी टोलियों से सम्पर्क स्थापित करते हुए पूरे नगर की परिस्थिति का अध्ययन कर रहे थे।

'प्रीति और क्रान्ति' के हथियारों से सुसज्जित शान्ति-सेवक अपने-अपने वृत्त में घूमते रहे। झगड़ा होने ही न पाये, यही हमारा लक्ष्य था। कई मतदान-केन्द्रों पर विभिन्न दलों द्वारा मतदाताओं की छीना-झपटी में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, वहाँ शान्ति-सेवकों ने स्थिति को संभाला। कहीं-कहीं अनियमितताओं के कारण लोगों में उत्पन्न रोष को शान्त करने के लिए शान्ति-सेवक अधिकारियों से मिले और उन अनियमितताओं को दूर कराया। कहीं-कहीं अन्धे, अपाहिज मतदाताओं को मतदान-कार्य में सहायता की। साथ ही लोगों के प्रश्नों के उत्तर देकर सर्वोदय और शान्ति-सेना के विचार की जानकारी करायी। हम सभी को ऐसा अनुभव हुआ कि व्यापक विचार-प्रचार का इससे अच्छा दूसरा अवसर हम नहीं खोज सकते थे। लोगों को यह देख कर आश्चर्य होता था कि ये कौन हैं, जो न तो कोई झण्डा लगाये हैं, न वोट की बात कहते हैं, शान्त घूम रहे हैं तथा झगड़े में सबसे पहले कूद पड़ते हैं। वे कौतूहलवश हमारे पास आते थे, अनेक प्रश्न पूछते थे। अधिकांश लोगों को समाधान भी होता था। कहीं-कहीं तो हमें बुला-बुला कर हमसे प्रश्न किये गये।

अनुभव

इस कार्य में हमें अनेक कड़वे-मीठे अनुभव आये। हम सभी कार्यकर्ताओं को इस कार्य ने नयी प्रेरणा दी। दिन भर शान्ति-स्थापना-कार्य में लगातार ९ घण्टे घूमते रहने पर भी जब सायंकाल हम सब मिले, सभी के चेहरों पर थकान के चिह्न न होकर प्रसन्नता दिखाई दे रही थी, हृदय में उत्साह और उमंग थी। इस कार्य में हमें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि प्रेम और अहिंसा से समस्याएँ सुन्दर ढंग से हल हो सकती हैं। प्रायः सभी स्थानों पर

शान्ति-सेना के विचार का लोगों ने हृदय से स्वागत किया। प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने हमारे कार्य के लिए प्रशंसात्मक शब्द प्रयोग किये। लोगों की सद्भावनाएँ हमें सर्वत्र मिलीं। सरकारी अधिकारियों और कहीं-कहीं पुलिस आफिसरों ने भी हमारे कार्य की सराहना की। जहाँ हमें ऐसे सुखद अनुभव हुए, वहाँ कुछ व्यंग्य और उपहास भी सुनना पड़ा। कहीं-कहीं युवकों ने हमारा उपहास किया और 'कायरी की जमात' शब्द से हमें सुशोभित किया। एक-दो स्थानों पर कांग्रेस का एजेण्ट होने का आरोप भी हम पर लगाया। हमारे सिर के हरे रुमाल को देख कर एक पार्टी वालों ने हमें मुस्लिम-लीगी कह डाला।

यह कार्य करते समय कुछ विशेष घटनाएँ हुईं, जिनकी चर्चा यहाँ असंगत न होगी। हम दो साथी एक मतदान-केन्द्र पर पहुँचे और वहाँ की स्थिति की जानकारी करने के लिए जहाँ मत पड़ रहे थे, उस ओर चलने लगे। पुलिस-इन्स्पेक्टर ने हमें रोका। उन्होंने कहा कि १०० गज के अन्दर आप नहीं जा सकते। हमने कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यह अनुमति प्राप्त है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं और इस बात की सूचना उन्होंने हर केन्द्र पर भेज भी दी होगी, ऐसा हमें बताया गया है। जब उन्होंने बताया कि हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली तो हमने कहा कि हम कानून-भंग नहीं करना चाहते। यह कह कर हम लौटने लगे। इतने में ही उस केन्द्र के प्रिसाइडिंग आफिसर आ गये और बड़े क्रोध से बोले, 'यह मेला नहीं है, जहाँ सेवा-समितियाँ की आवश्यकता हो। हम सब प्रवन्ध कर लेंगे। आप तुरन्त यहाँ से चले जाइये।' मेरे साथी ने उन्हें समझाया कि चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से हो, इसका उत्तर-दायित्व प्रत्येक नागरिक पर है। हम भी अहिंसात्मक ढंग से शान्ति-स्थापना का कार्य कर रहे हैं तथा आपके काम में सहायक हैं। यह सुन कर आफिसर महोदय कुछ शान्त हुए और जब मैंने अपने साथी का उनसे यह कह कर परिचय कराया कि ये विश्वविद्यालय के एक विभाग के अध्यक्ष हैं तो वे शर्मिन्दा हुए और कहने लगे—'आप काम करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।'

वोट डालने के लिए जाते समय मतदाताओं की खींचातानी विभिन्न प्रत्याशियों के प्रचारक काफी किया करते हैं। एक मतदान-केन्द्र पर एक मतदाता को दो पार्टी वाले अपनी-अपनी बात सुनाने के लिए अपनी ओर खींच रहे थे। एक शान्ति-सेवक वहाँ पहुँच गये और पूछने लगे, 'आप इन्हें क्यों खींच रहे हैं?' दोनों

खादी-ग्रामोद्योग : तालीम का कार्यक्रम

ध्वजाप्रसाद साहु

[पिछले दिनों अहमदाबाद में खादी-ग्रामस्वराज्य समिति की बैठक में ध्वजाप्रसाद साहु ने खादी-ग्रामोद्योग के कार्यक्रम में लगे हुए कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए कहा कि खादी को व्यापार अथवा राहत का काम मानना दिशाभ्रष्टता का सूचक होगा। खादी-ग्रामोद्योग वस्तुतः व्यापक लोक-शिक्षण का कार्यक्रम है, जिसके द्वारा ग्रामस्वराज्य का पथ प्रशस्त हो सकता है। उनके भाषण का मुख्य अंश यहाँ दिया जा रहा है। -सं०]

सन् १९२१ से लेकर आज तक खादी-काम के लगभग ४० वर्ष बीत गये। जब पहले-पहल बापू ने चरखे की बात कही थी तो आर्थिक दृष्टि से चरखा और खादी का युग समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी सख्त और साधना से स्वराज्य-प्राप्ति के पहले ही चरण में चरखे को मुक्ति का चिह्न बना दिया और धीरे-धीरे उन्होंने चरखे के चारों ओर एक अहिंसात्मक जीवन-दर्शन विकसित किया। चरखा यंत्र के बाद 'चरखा अहिंसा का प्रतीक है,' यह मंत्र हमें बापू से विरासत के रूप में मिला है, जो हमारे लिए एकसाथ चुनौती, आह्वान और साधना का विषय बन गया है।

आज देश में १३ लाख से अधिक चरखे चलते हैं और १५-१६ करोड़ रुपये की खादी बनती है। बड़ी-छोटी संस्थाओं को मिला कर कुल २५-३० हजार कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। सरकारी सहायता मिलने से खादी का उत्पादन बहुत बढ़ा है और अम्बर के बाद मुख्य तथा पूरक उद्योग के रूप में खादी में इससे भी अधिक वृद्धि की संभावना प्रकट हुई है। केन्द्रित उद्योगवाद के जमाने में खादी की यह प्रगति देख कर किसी भी खादी-प्रेमी को आनंद होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम जरा गहराई से सोचते हैं तो मन में कुछ प्रश्न पैदा होने लगते हैं। क्या सचमुच जिस खादी की बात बापू ने कही

थी, उसकी प्रगति हो रही है? अगर हो रही है तो क्या जन-जीवन में शक्ति के विकास का दर्शन भी हो रहा है? क्या सचमुच चरखा किसी जीवन-दर्शन का प्रतीक बन रहा है? क्या उसकी कोई प्रक्रिया है, जो अभी तक हमारे हाथ नहीं आयी है, इत्यादि? हम जिस काम में लगे हैं, उसका मूल्यांकन हम करते रहेंगे तो हमारी प्रगति ठीक दिशा में होती रहेगी अन्यथा दिशाभ्रष्ट होकर गलत रास्ते में चले जाने की संभावना रहेगी। खादी को व्यापार मानना अथवा केवल राहत का काम समझना दिशाभ्रष्टता का सूचक है, जिससे हमको सावधान होने की आवश्यकता है।

पार्टी वाले बोले, 'ये हमारे दोस्त हैं।' हमारे शान्ति-सेवक भाई ने विनोद में कहा, "यदि आपके ये दोस्त हैं तो इनकी रसा-कधी क्यों हो रही है?" दुखी मतदाता बोल पड़ा, 'भइया, ये तो मारे डाल रहे हैं, तुम्हीं बचा लो!'"

एक मतदान-केन्द्र पर हमारे एक भाई जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, प्रत्याशियों के कैम्प के पास घूम रहे थे। एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानाफूसी की 'सी० आई० डी०' मालूम होता है' देखना चाहिये! उनका एक कार्यकर्ता आया और उसने हमारे साथी का निरीक्षण किया। हमारे मित्र चुपचाप घटना का आनन्द ले रहे थे। 'शान्ति-सेवक' का बैज देख कर भी उनका समाधान नहीं हुआ और कैम्प में जाकर उन्होंने सूचना दी कि कांग्रेस पार्टी का एजेंट लगता है।

एक केन्द्र पर पुलिस इन्स्पेक्टर ने, जो वहाँ ड्यूटी पर थे, शान्ति-सेवक को चुनौती दी कि आप क्या शान्ति स्थापित कर सकते हैं? संयोग की बात, उसी समय दो दलों के पोलिज़ एजेण्टों में कहा-सुनी हो गयी तथा स्थिति गंभीर बनने लगी। इन्स्पेक्टर ने हमारे साथी से कहा—इस स्थिति को शान्त कर लें, तब जानें कि आप

शान्ति-सेवक हैं। प्रेम और अहिंसा का पुजारी हमारा साथी पहुँच गया वहाँ और स्थिति को प्रेमपूर्वक शान्त कराकर उसने हिंसा पर प्रेम की विजय घोषित कर दी।

इन्हीं भाई के साथ एक अन्य मनो-रंजक घटना घटी। इनके शान्ति-स्थापना के कार्य को देख कर एक वयोवृद्ध सजन मुग्ध हो गये। खिलाने के लिए ले आये मिटाई। उनके प्रश्नों के सिलसिले में जब हमारे भाई ने उन्हें बताया कि यह शान्ति-सेना का काम विनोबाजी ने चलाया है और हम उनके ही अनुयायी हैं, तो वे प्रसन्न होकर बोले, हाँ, विनोबाजी का नाम मैंने सुना है। कृपया मुझे बता दीजिये कि वे किस पोलिग स्टेशन पर काम कर रहे हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ।

यद्यपि नगर में शान्ति-सेना का संगठित रूप में यह पहला विनम्र प्रयास था, हमारी संख्या भी आवश्यकता से बहुत कम थी, तथापि बड़ी प्रेरणा मिली, उत्साह बढ़ा और स्थायी रूप से शान्ति-सेना-टोली बनाने का निश्चय किया गया है, जिससे समाज के सामने समस्याओं का अहिंसात्मक ढंग से हल करने का एक विकल्प पेश किया जा सके।

खादी समाज-रचना का आन्दोलन है। खादी केवल उद्योग है, जिसके द्वारा बाजार में विकने लायक कपड़ा तैयार होता है और बनाने वाले को थोड़ी मजदूरी मिलती है, यह कोरा आर्थिक दृष्टिकोण हमने कभी मान्य नहीं किया। हमने माना कि खादी एक उद्योग होते हुए भी एक विशेष प्रकार के समाज रचना का आन्दोलन है। खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा हमको समाज के प्रत्येक घटक को छूने का अवसर प्राप्त होता है। इस सहज-प्राप्त अवसर को हम मनुष्य-मनुष्य को एकसाथ जोड़ने में, उनके अंदर प्रेम और सहानुभूति पैदा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। चरखा लगभग एक लाख गाँव में प्रवेश कर सका है, उनमें ग्राम-भावना पैदा हो और जनता एक-दूसरे के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होना सीखे, इस अवस्था को लाने की चेष्टा हम कर सकते हैं। खादी महुँगी होते हुए भी विकती है, इससे हमको पता चलता है कि हमारी जनता अपढ़ और दरिद्र होते हुए भी हृदयहीन नहीं है। इस भावना को पूँजी बना कर हम शोषणरहित और सह-योगी समाज-रचना का काम कर सकते हैं, जिसकी अपेक्षा बापू ने रखी थी। इसकी प्रक्रिया होगी, कार्यकर्ताओं को खादी की दृष्टि देने की तालीम और उनके द्वारा इस प्रक्रिया में लगे हुए कत्तिन, बुनकर, दूसरे कामगार तथा ग्राहकों की तालीम।

खादी और ग्रामोद्योग का कार्यक्रम एक व्यापक तालीम का कार्यक्रम है। जब तक खादी के इस पहलू को हम नहीं समझेंगे, खादी को सही दिशा में मोड़ने में हम असफल रहेंगे। आज जो संस्थाओं के संगठन का स्वरूप है, उससे जैसे सह-योगी समाज की रचना हम चाहते हैं, वह नहीं हो सकता है। इतने वर्षों में इस ओर हम थोड़े भी आगे नहीं बढ़े हैं। कातने वाले, बुनने वाले और दूसरे कामगार और ग्राहकों से व्यापक संपर्क होते हुए भी हमने अपना परिवार बढ़ाया हो और बंधुत्व की भावना पैदा की हो ऐसा नहीं हो सका है।

संस्थाओं को ग्राम-इकाई के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा। इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर संस्थाओं को विचार करना होगा और यथाशीघ्र इस ओर बढ़ने का कार्यक्रम बनाना होगा। ग्राम-इकाई का कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है, जो परिस्थिति के संयोग से हमारे सामने

आया है। अगर हम ग्राम-इकाई के कार्यक्रम को सही ढंग से उठा लें तो जनता में यह प्रतीति जग जायगी कि उसके समग्र विकास में खादी और ग्रामोद्योग के लिए क्या स्थान है और उसके लिए उसको अपने अभिक्रम और शक्ति से क्या करना है। ग्राम-इकाई के कार्यक्रम के द्वारा सहज ही खादी जनता की आवश्यकता और आकांक्षा, दोनों का विषय एकसाथ बन जायगी और इतना हो जाने पर आगे का रास्ता आसानी से खुल जायगा।

खादी की गति जो समय-समय पर विक्री नहीं होने के कारण अवरुद्ध हो जाती है, वह भय जाता रहेगा। जनता स्वयं अपना रास्ता निकाल लेगी। रिबेट और सबसीडी की भी उसे परवाह नहीं रहेगी। आज देश में जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उनके द्वारा जनता को प्रति-द्वन्द्वता और मुनाफाखोरी का ही अभ्यास हो रहा है। ऐसी हालत में ग्राम-इकाई एकमात्र कार्यक्रम है, जो जनता में सहकार की वृत्ति पैदा करेगा, पंचायत को सेवा-धर्म देगा तथा राष्ट्र में लोकतंत्र की भूमिका के निर्माण की सही दृष्टि पैदा कर सकेगा। इन कारणों से यह कार्यक्रम बहुत महत्त्व का है। क्या हमारे कार्यकर्ता इस नये उत्तरदायित्व के लिए तैयार हैं? यह प्रतीति कार्यकर्ताओं में जिस मात्रा में पैदा होगी, उतना ही काम आगे बढ़ेगा। आज खादीवालों के बीच मनुष्य-शक्ति, पशु-शक्ति और गैस तथा विजली-शक्ति के लिए वाद-विवाद चल रहे हैं। पर इस प्रश्न पर उलझ कर मुख्य प्रश्न को आँखों से ओझल करना भूल होगी। शक्ति का इस्तेमाल किस मर्यादा में हो, इस संबंध में विनोबाजी ने स्पष्ट मार्गदर्शन किया है। शक्ति का प्रश्न आज ही हल होना चाहिये और इसके अगैर हमारा कदम आगे नहीं बढ़ेगा, यह बात भी नहीं है। शक्ति बहुत कम गाँव में पहुँची है, गोबर-गैस या जल-शक्ति या वायु-शक्ति से हम बहुत कुछ कर पायेंगे, इसकी भी संभावनाएँ बहुत नहीं हैं। ऐसी हालत में इसीके ऊहापोह में पड़ कर बुद्धिभेद करने से लाभ के बदले हानि होने की संभावना है। मनुष्य-शक्ति से चलने वाले औजारों में जो सुधार की गति बढ़ रही है, वह ढीली पड़ेगी और विजली या दूसरी शक्ति उपलब्ध भी नहीं होगी।

इसलिए यह प्रश्न स्वाभाविक ढंग से हल होगा, यह निर्णय लेकर समय की प्रतीक्षा करनी चाहिये। वास्तव में यह प्रश्न बुनियादी नहीं है। वास्तविक प्रश्न है जन-जीवन में शक्ति के विकास का दर्शन, शोषणरहित सहयोगी समाज का निर्माण, दूसरों के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होने की अनुभूति। यह तालीम का प्रश्न है और इसके द्वारा इसका हल निकालना होगा।

भूरान-यज्ञ, शुक्रवार, ६ अप्रैल, '६२

तथागत ने आँखें खोलीं, चारों ओर देखा, क्षितिज पर अक्षर अंकित थे—“मैत्री”, “करुणा”, “मुदिता”, “उपेक्षा”। ये चार रूप चारों दिशाओं में दिखे और फिर चालीस साल कारुण्यमूर्ति का विहार हुआ, एक ही संदेश देते हुए—“मैत्री”। काल-चक्र घूमता रहा। कई सालों के बाद दुनिया ने देखा कि सम्राट का राज-प्रासाद छोड़ कर सुकुमार राजकन्या भिक्षुणी बन कर निकली और सागर की लहरों पर उसकी नाव हिलती-डुलती लंका के किनारे पहुँची और तथागत का “मैत्री” संदेश पहुँचाते हुए उसकी जीवन-ज्योति समाप्त हुई। आज उत्तर में विराजमान हिमालय यही कह रहा है, “मैत्री” करो। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में फैला हुआ विशाल सागर यही कह रहा है, “मैत्री” करो!

५ मार्च, १९६१। असम की नयनरम्य भूमि में साम्ययोगी विनोबा की यात्रा का आरंभ हुआ था। उस वक्त इस सुन्दर भूमि की हवा बिगड़ी थी, लोगों के दिल टूटे थे, एक असंतोष था। धीरे-धीरे वह असमाधान कम होता गया। भूदान-ग्रामदान, शान्ति-सेना, साम्ययोग के विविध पहलुओं को असमवासियों ने सुना। ग्रामदान और फिर ग्राम-स्वराज्य की दिशा में असम की जनता कदम बढ़ाने लगी। विनोबा की असम-यात्रा का अंतिम पर्व आरंभ हुआ और ५ मार्च, १९६२, ठीक एक साल के बाद वेद, नामघोषा और गीताई के मंत्रोच्चारण के साथ “मैत्री-आश्रम” की स्थापना हुई।

भारत के पूर्व में यह प्रदेश है। इस प्रदेश के पूर्व में उत्तर-लखीमपुर जिला है। इस जिले में उत्तर-लखीमपुर शहर से ५ मील दूरी पर यह शांत, एकांत स्थान है। इसके उत्तर और पश्चिम में ‘नेफा’ के ऊँचे नीले पहाड़ हैं। इन पहाड़ों के पीछे ही हिमालय खड़ा है। ये पहाड़ हिमालय तो नहीं, पर “हिमालय-पुत्र” हैं, ऐसा बाबा कहते हैं। यह स्थान भारत और चीन (तिब्बत) की सीमा का प्रदेश है। शहर के पास है। फौज की छावनियाँ हैं, इनकी ओर संकेत करते हुए बाबा ने कहा, “अहिंसा में मैं मानता हूँ। उसमें निर्विवाद भूमिका होते हुए भी मैं क्षत्र-वृत्ति में मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि सैनिकों में ऐसे ‘वीर’ होंगे, जो ‘महा-वीर’ हो सकते हैं।” सारे भारत के साथ तथा दुनिया के साथ भी सीधा संबंध जोड़ने का साधन भी यहाँ मौजूद है, “हवाई जहाज” का अड्डा—जो आश्रम से १ मील के फासले पर है। इसके नजदीक ही सुवर्णश्री का ग्रामदानी क्षेत्र है। बाबा ने कहा, “असम-यात्रा का यह अंतिम पर्व है। सीमा तक तो पहुँचूँगा, आगे कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन यह सोचा कि यहाँ से जाने के पहले इस प्रदेश में सर्वोदय की बुनियाद मजबूत बने और इस विचार का परिणाम है, मैत्री-आश्रम।”

असम प्रदेश और चीजों में दूसरे प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है, पर स्त्री-शक्ति में वह आगे बढ़ा है। बाबा यह कहते ही हैं। इस आश्रम की स्थापना का वह भी एक कारण है। बाबा ने कहा, “वैसे दुनिया भर में पुरुष काम कर रहे हैं। असम में भी हैं। वे नहीं होते तो गाँव-गाँव में ग्रामदान का काम कौन करता? लेकिन सारे भारत में देखा जाय, तो यहाँ स्त्री-शक्ति के विकास के लिए काफी अवकाश है। इसलिए ऐसे स्थान की ओर भी आवश्यकता मालूम हुई। भास हुआ कि यहाँ से जाऊँ और ऐसा स्थान न बनाऊँ, तो गलती होगी। इस अर्थ

में काम अधूरा रह जायगा। वैसे तो सब प्रकार से बन्दोबस्त करने पर भी काम बिगड़ सकता है, वह फिर हरि की इच्छा!”

‘नामघोषा’ का श्लोक बहनों ने गाया था। उसका जिक्र करते हुए बाबा ने कहा, “ईश्वर का बहुत ही उपकार है कि यहाँ पर एक कल्याणमयी शक्ति बन रही है। अभी ‘नामघोषा’ सुन रहा था—“पुरुषे सहिते सखित्व करिय। चलय हरिर काळे।”

यहाँ (मैत्री-आश्रम में) हमारा एक ही ध्येय होगा ‘मैत्री’, एक ही कार्यक्रम होगा ‘मैत्री’ और एक ही नियम होगा ‘मैत्री’। आग्रह किसी चीज का नहीं होगा, ‘मैत्री’ रहे, यही आग्रह होगा। —विनोबा

‘परमेश्वर से सत्य करने की बात माधवदेव कहता है। अक्सर भगवान् के साथ सत्य की बात भक्त कम बोलते हैं, दास्य की बात बोलते हैं। आज आप गा रही थीं तो मुझे भास हुआ कि मैत्री-आश्रम के लिए उस महापुरुष का आशीर्वाद मिला। हम यहाँ ईश्वर के साथ, विश्वात्मा के साथ, मानव के साथ सखित्व करने जा रहे हैं। अंतःकरण में एक ही कामना रखते हैं कि सर्वत्र “सखित्व” हो।”

तीन साल पहले बाबा बड़ौदा में पहुँचे थे। वहाँ उनके बचपन के साथी इकट्ठे हुए थे। मित्र-मंडली के सामने बोलते हुए बाबा ने कहा था, “मेरे जीवन में मुझे मित्रभाव का दर्शन होता है और वह मुझे खींचता है। माँ के लिए मेरे मन में आदर है, पितृभाव के लिए भी आदर है। गुरु के लिए तो अत्यन्त आदर है। इतना होतै हुए भी मैं सबका मित्र ही हो सकता हूँ और सब मेरे मित्र ही हो सकते हैं।”

इन ११ सालों की अवधि में यह “मैत्री-आश्रम” छठा आश्रम है। उसकी

स्थापना के वक्त बाबा ने आरंभ में कहा था, “जब से मुझे समझ आयी है, मुझे मेरा कोई काम याद नहीं है, जिसकी शुरुआत में मैंने गीता को याद न किया हो। गीता कहती है, भक्त कोई आरंभ नहीं करता है। जैन तत्त्वज्ञानियों ने भी आरंभ एक बहुत ही प्राथमिक मूल्य, महा-मूल्य मानव-जीवन का माना है। मैं साँच रहा था, इन १०-११ वर्षों में जो भूदान-यज्ञ का काम हुआ, उसके बारे में पहले कभी कुछ भी नहीं सोचा था। जब वह अनिवार्य हुआ, टाल नहीं सकता, टालने में कायरता होगी ऐसा महसूस हुआ, तभी वह शुरू किया। इसके बाद के एक-एक काम को याद करता हूँ तो हर काम जो प्रवाह से प्राप्त हुआ वही किया। प्रवाह से प्राप्त कर्म जब मनुष्य करता है, तब उसे पाप नहीं छूता।

चंद दिन पहले श्री गुणदा बहन को लिखी हुई चिट्ठी में बाबा ने लिखा था, “यह विज्ञान का जमाना है। विज्ञान का जमाना कहता है, ‘दुनिया के मनुष्यो, तुम एक हो जाओ।’ लेकिन पुराने राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्कार, जो मनुष्यों के चित्त पर आरूढ़ हैं, वे एकता में बाधा डाल रहे हैं और आज मानव-समाज पहले से भी अधिक छिन्न-विच्छिन्न है। ऐसी हालत में भारत के इस सीमा-प्रदेश में “मैत्री-आश्रम” की स्थापना मेरे लिए अनिवार्य हो गयी और उसके लिए स्थान जहाँ तुम बैठो वही सबसे अच्छा लगा। उस आश्रम की प्रथम साधिका तुम ही होगी।”

“मैत्री-आश्रम” जिस स्थान में है, उस स्थान में इसके पहले “कस्तूरबा-कल्याण-केन्द्र” नाम की संस्था काम करती थी। उसकी संचालिका श्री गुणदा बहन थीं। सन् १९५० में असम में इस विभाग में भूकंप हुआ था। उस वक्त राहत के लिए, सेवा-कार्य करने के लिए असम की निष्काम, मूक-सेविका अमलप्रभादेवी यहाँ दौड़ी आयी थीं। उनके साथ ही उनके काम में हमेशा

मदद पहुँचाने वाली श्री शकुंतला बहन, जो इन दिनों असम कस्तूरबा ट्रस्ट की प्रतिनिधि हैं, हेमाबहन और गुणदा बहन आयी थीं। भूकंप में हजारों लोग बेघर हुए थे। उनमें महिलाओं की समस्या विकट थी। ऐसी महिलाओं के लिए शुरू में “विधवा-केन्द्र” शुरू हुआ। आगे जाकर उसका नाम बदल दिया और वह “कल्याण-केन्द्र” बना। उसके संचालन का बोझ गुणदा बहन पर सौंप कर अमल-प्रभा बहन निश्चित हुई थीं। यह केन्द्र आरंभ में सुवर्णश्री नदी के किनारे ३॥ मील दूरी पर था। पर कुछ ऐसा संयोग था कि वह नदी हर साल अपना पात्र बदलती गयी और हर साल केन्द्र का स्थान बदलता गया। इस तरह चार साल चलता रहा और आखिर उस नदी से करीब १८ मील दूरी पर उज्ज्वलपुर नामक छोटे-से गाँव में यह केन्द्र लाया गया। तब से उसी स्थान में यह है। आगे जाकर इस केन्द्र की बहनों में से किसी के चाचा, तो किसी के मामा, या ऐसे ही रिश्तेदार आते गये और एक-एक करके बहनें चली गयीं। कुछ बहनों ने शादी की और वे चली गयीं। इनमें मुख्यतया “मीरी” और “कसारी” जाति की आदिवासी बहनें थीं। इतना होने पर भी जो तीन-चार साल की नहीं मुन्नियाँ थीं, वे कहाँ जातीं? गुणदा बहन ने उनको मातृच्छाया में रख कर तालीम दी। उनमें से कुछ बहनें कस्तूरबा की ग्राम-सेविका बन कर सेवा में लगी हैं। चार-पाँच लड़कियों को तालीम देकर रिश्तेदारों के पास भेज दिया है और चार अभी यहाँ हैं, जो सीख रही हैं।

यहाँ मिट्टी और बाँस के बने छोटे-छोटे मकान हैं। आठ बीघा जमीन है, उसमें धान होता है। आश्रम के अहाते में गोभी, बैंगन, टमाटर आदि थोड़ी तरकारी होती है। अमरूद, केला, पपीता के पेड़ हैं और अभी थोड़े अनानास के पेड़ लगाये गये हैं। अंबर चरखा, बुनाई का काम भी होता है।

ऐसा यह स्थान सहज ही उपलब्ध था, इसलिए इसे चुना। इस स्थान से उज्ज्वलपुर गाँव एक-डेढ़ मील दूर है। आसपास खुले मैदान हैं, कहीं खेत हैं। “हिमालय-पुत्र” का साथ है।

बाबा ने कहा, “यहाँ हमारा एक ही ध्येय होगा “मैत्री”। एक ही कार्यक्रम होगा, मैत्री और एक ही नियम होगा, मैत्री। आग्रह किसी चीज का नहीं होगा, “मैत्री” रहे, यही आग्रह होगा।”

इस स्थान में देश की भिन्न-भिन्न भाषाओं का अध्ययन, अध्यापन होगा। खास करके असमिया, उड़िया, बंगला, नेगाली, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी। दुनिया के अनेक धर्मों का अध्ययन होगा। सर्वोदय-विचार का और दूसरे विचार का भी अध्ययन, अध्यापन होगा और उस प्रकार का साहित्य निर्माण करने का काम होगा।

आसपास ग्रामदान का जो काम चल रहा है, उसके साथ अनुबंध रहेगा। खेती, बुनाई और कताई शरीर-परिश्रम का काम भी होगा। विशेषता यह है कि यह बहनों का आश्रम होगा। सिवाय इसके कि इसकी स्थापना एक पुरुष ने की है और किसी भी काम में पुरुष नहीं रहेगा। फिलहाल नौ बहनें हैं।

श्री अमलप्रभा देवी का पूर्ण मार्गदर्शन आश्रम को मिलेगा। श्री शकुंतला बहन भी बीच-बीच में कुछ समय दिन देने वाली हैं। श्री हेमा बहन भराली भी आश्रम को हर तरह की मदद करती रहेंगी। श्री गुणदा बहन आश्रम की अन्तर्गत व्यवस्था रखेंगी। श्री लक्ष्मी बहन, जो कच्छरा ट्रस्ट में पिछले १४ साल से काम करती आयी हैं, असम की यात्रा में बाबा के साथ थीं और अनुवाद का काम कुशलतापूर्वक करती थीं, उनको बाबा ने गीताई के जरिये मराठी सिखायी है। बाबा की आज्ञा से वे भी यहाँ रहेंगी। इनके अलावा यहाँ श्री गुणदा बहन के साथ रहने वाली तीन बहनें हैं और तीन बहनें ग्रामदानी गाँव से आयी हैं, जो बाबा की यात्रा में रह चुकी हैं।

बाबा का सान्निध्य आश्रम को छह दिन मिला। उन दिनों में आश्रम के बारे में काफी चर्चा हुई है और आश्रम चलाने के लिए कई सूचनाएँ और सुझाव बाबा ने दिये हैं। उसमें यह भी कहा है कि असम प्रदेश के काम की जानकारी इस आश्रम में आती रहेगी और यहाँ से वह अखिल भारत को मिलेगी। भारत में भिन्न-भिन्न स्थानों में जो काम चलेगा, उसकी जानकारी इस आश्रम के जरिये असम के कार्यकर्ताओं को मिलेगी, जानकारी की लेन-देन होगी। इसके अलावा भारत में जो अन्य पाँच आश्रम बने हैं, उनके साथ संबंध रहेगा। मतलब, इन छह आश्रमों में अन्योन्य अनुबंध रहेगा। विचारों की, अनुभवों की लेन-देन होगी। अन्य पाँच आश्रम हैं—पठानकोट में “प्रस्थान-आश्रम” इन्दौर में “विसर्जन-आश्रम”, बेंगलोर में “विश्वनीडम्”, पवनार में “ब्रह्मविद्या-मंदिर”, गया में “समन्वय आश्रम”।

इन्हीं दिनों में बंबई के विद्वान् श्री पांडुरंग शास्त्री आठवलेजी बाबा से मिलने के लिए आये थे। गीता और उपनिषदों पर उनके प्रवचन बंबई, गुजरात-सौराष्ट्र में होते हैं। ठाना में उनका तत्त्वज्ञान-विद्यापीठ चलता है। उनके साथ चर्चा में बाबा ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि पुराने ग्रंथों में से सार अंश ले करके लोगों के सामने रखना चाहिये। ऐसा करने से उन ग्रंथों की कान्ति, तेज बढ़ेगा। नहीं तो उन ग्रंथों में जो असार अंश है, उनके कारण सारा ग्रंथ ही खत्म होने का डर है। विज्ञान के जमाने में इसकी अत्यंत आवश्यकता है।

कार्यकर्ताओं मकराने की हड़ताल

सूचना मिलने पर कि राजस्थान के नागौर जिले के मकराना में ५ दिन से हिन्दुओं द्वारा हड़ताल जारी है, मैंने सारे हालत जानने का प्रयत्न किया और ८ मार्च को मौके पर पहुँचा। हिन्दू और मुसलमानों से अलग-अलग मिला और दोनों तरफ की बात समझने का प्रयत्न किया। हिन्दुओं में काफी रोष छाया हुआ था। काफी बड़ी तादाद में वे इकट्ठे हो रहे थे और उनका कहना था कि ये मुसलमान लोग नाजायज ढंग से बाजार निर्माण करते जा रहे हैं और कानून-कायदा अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए हमने हड़ताल की है। कुछ जोशीले नवयुवक कह रहे थे कि दुकानों के सामने बना चबूतरा जब तक नहीं हटेगा, तब तक हड़ताल नहीं तोड़ी जायगी। कुछ का कहना था कि बनी-बनायी सब दुकानें ही तोड़ी जानी चाहिये। इस प्रकार उत्तेजित समूह के भिन्न-भिन्न उत्तर मैं सुनता चला गया। अंत में मैंने उनकी जायज मांगों की पूर्ति के लिए मुस्लिम भाइयों से बातचीत करने की इजाजत मांगी। कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया कि बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैंने उन्हें कहा कि अगर बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकले तो आप अपनी हड़ताल जारी रखना, परन्तु मुझे यह प्रयत्न करने दीजिये। अंत में सब लोगों ने रात के दो बजे मेरी यह बात स्वीकार की। उसके बाद प्रातः छह बजे विचार जानने के लिए मैं नगरपालिका के अध्यक्ष के घर गया।

श्री आठवलेजी के साथ बंबई के व्यापारी श्री वाडीलाल भाई और पूना के डा० दातार भी आये थे। खुशी की बात तो यह रही कि आश्रम-स्थापना के समय श्री सिद्धराज भाई और श्री गोरजी भी उपस्थित थे।

११ मार्च का दिन आया। ब्राह्म-मुहूर्त्त पर २ बजे बाबा “ब्रह्म-लोक” से लौटे और ३ बजे उनके चरण आगे बढ़ने लगे। एक साल समाप्त हुआ था। वैसे देखें तो ११ साल की यात्रा का एक चरण समाप्त हुआ था। “मैत्री-आश्रम” की स्थापना के साथ १२ वें साल की यात्रा आरंभ हुई थी।

“कहाँ जा रहे हैं बाबा ?”—पूछा किसी ने।

“पश्चिम में जा रहा हूँ, इतना निश्चित है। पश्चिम में कई देश-प्रदेश हैं—बंगाल है, बिहार है, पाकिस्तान है, इंग्लैण्ड भी है।”

“मैत्री-आश्रम” को मंगल-आशीर्वाद देकर बाबा निकल पड़े, तब आकाश में मेघ-गर्जना हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बारिश की बूँदें गिर रही थी—टप-टप।

आश्रम की बहनें दरवाजे पर खड़ी देख रही थीं। बाबा दूर जा रहे थे। बिदाई देते हुए बहनों की आँखों से आँसुओं के मोती गिर रहे थे—टप-टप।

प्रमुख मुस्लिम भाइयों से सारी बात-चीत की मुस्लिम भाई न उत्तेजित थे और न रोषपूर्ण। अधिकतर भयभीत थे, हड़ताल के कारण परेशान थे और शीघ्र शांति के इच्छुक थे। इतना जरूर था कि उनमें भी कुछ लोग अपनी बातों पर अड़े हुए थे। मैंने जब सारी परिस्थिति उनके सामने रखी तो नगरपालिका के अध्यक्ष श्री गुलाम मुस्तफा, उपाध्यक्ष श्री फरीदवत्त व अन्य प्रमुख लोगों ने अपनी तरफ से सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल दी और कहा कि आप जो कुछ कर देंगे, हमें मंजूर है। मैं जिस हद्द विश्वास के साथ उनसे मिलने गया था, उनके इस जवाब से मुझे अत्यधिक बल मिला। मैंने सर्वाधिकार अपने हाथ में लेना उचित न समझ कर उनकी तरफ से ५ प्रमुख लोगों के नाम तय करने के लिए निवेदन किया और इसी प्रकार फिर हिन्दुओं से भी ५ प्रमुख लोगों के नाम मांगे। इस प्रकार इन १० आदमियों ने २ व्यक्तियों को और शामिल करके १२ आदमियों की अमन कमेटी का निर्माण किया।

आपस में हुई बातचीत की जानकारी देते हुए मैंने हिन्दुओं से प्रार्थना की कि आप अब तुरन्त बाजार खोल हड़ताल तोड़ दीजिये, मुझे पूरा विश्वास है कि समझौता हो सकेगा। परन्तु कुछ लोगों ने एतराज किया कि समझौते की लिखापट्टी के पूर्व हड़ताल तोड़ना उचित नहीं है। मैंने उन्हें समझाया कि जबानी हुई बातचीत पर विश्वास कर आप यदि हड़ताल समाप्त करेंगे तो इसका मुस्लिम भाइयों पर बहुत अच्छा असर होगा और समझौते की लिखापट्टी करना भी आसान हो जायगा। अन्त में ५ दिन के बाद ९ मार्च को दोपहर को बारह बजे हड़ताल समाप्त हुई। उसके बाद उक्त अमन कमेटी के सदस्यों को इकट्ठा करके आपसी रजामंदी से हिंदू और मुसलमान भाइयों की भावनाओं और हकों का ध्यान रखते हुए विवादप्रस्त मुद्दों के संबंध में समझौता पत्र लिख कर सबने हस्ताक्षर कर दिये और नगर में खास तौर पर उपस्थित प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के पास वह पेश कर दिया गया और उनसे निवेदन किया गया कि नगर में अब पूर्ण शान्ति है, अतः नगर में लगायी गयी पुलिस को हटा लें, ताकि लोगों में भय और आतंक न रहे।

समझौता पेश करते समय यह भी निवेदन किया गया कि विवादप्रस्त जमीन

और इमारत को सरकारी अधिकार से मुक्त करें, ताकि पुनः काम शुरू हो सके और लोगों के खिलाफ दुतरफा कायम किये गये मुकदमों को खारिज करें। इसके बाद शाम को नगर में शांति रही। रात्रि को और दूसरे दिन दोनों तरफ से कई तरह की भ्रमात्मक अफवाहें आयीं, कुछ ने कहा कि चबूतरी हरगिज हटाने नहीं देंगे, कुछ ने कहा कि हड़ताल पुनः जारी करेंगे। कुछ ने दुकानदारों से सामान नहीं लेने की बात भी कही। इस प्रकार भिन्न-भिन्न तरह की बातें सामने आयीं। शाम को पुनः अमन कमेटी की बैठक बुला कर सबने मिल कर यह तय किया कि मकराने के २-४ आदरणीय बुजुर्ग आदमियों को और शामिल कर लिया जाय, और यह कमेटी भविष्य के लिए नगर में अमन कायम रखने के लिए बराबर प्रयत्न करे। नगर में फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए मोहल्ले-मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके समझाये और जहाँ भी, जिस तरह से भी अशांति का कोई कारण बने, उसे तुरन्त दूर करने का यह कमेटी प्रयत्न करे। विवादप्रस्त मामलों के संबंध में जो निर्णय लिये गये हैं, उन्हें कार्यान्वित करने में अभी जब तक जनता में पूर्ण शांति न हो जाय, जल्दबाजी नहीं की जाय।

इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुओं का विवादप्रस्त जमीन के संबंध में कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक स्वार्थ नहीं था, वे उस जमीन को सबके उपयोग के लिए नगरपालिका के अन्तर्गत ही रखने के पक्ष में थे।

इसलिए इस प्रश्न पर तो वास्तव में हिन्दू और मुसलमानों को एकमत ही होना चाहिये था, बल्कि उनका ज्यादा-से-ज्यादा रोष नगरपालिका के खिलाफ हो सकता था, परन्तु क्योंकि अन्जुमन ने यह निर्माण किया था, इसलिए सर्वसाधारण मुसलमान भाइयों ने इसे अपना प्रश्न बना लिया। इस प्रकार वह एक हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न बन गया। जहाँ तक हड़ताल का प्रश्न है, उसमें हिन्दुओं ने यह कदम उठाने में अत्यधिक जल्दबाजी की, जिसके फलस्वरूप जिन समझदार मुस्लिम भाइयों का इस मसले के हल करने में सहयोग मिल सकता था, उससे वे वंचित रह गये। इसके अलावा आम गरीब जनता का अनायास ही रोष मोल ले लिया।

आज जहाँ कहीं भी ऐसे अवसर आते हैं, सिवाय पुलिस और फौज भेज कर जनता में भय निर्माण करने के और कोई मार्ग अधिकारी वर्ग को नहीं सूझता। आज के युग में क्या सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का यह फर्ज नहीं है कि वे कानून के द्वारा सख्त कदम उठाने से पूर्व लोगों में समझौता कराने का भरसक प्रयत्न करें ?

—बद्रीप्रसाद स्वामी—

विश्व-शांति की कुंजी : भूदान

ओम प्रकाश गुप्त

जो लोग गांधीजी को नज़दीक से जानते हैं, उन्हें मालूम होगा कि स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद उनके मन में एक दूसरा राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने की बात चल रही थी। वह उसके रूप और आकार-प्रकार की शोध कर रहे थे। इसलिए वह कांग्रेस को लोक-सेवक-संघ में बदल देना चाहते थे। श्री जयप्रकाशजी कहते हैं : वह यही काम है, जो विनोबाजी ने उठा लिया है। इसलिए भूदान का यह आन्दोलन गांधीजी के अहिंसक असहयोग आंदोलन का ही दूसरा पहलू है। चूँकि पहले आन्दोलन की जड़ें इस देश में गहरी उतर चुकी थीं, इसीलिए दस वर्ष की छोटी-सी अवधि में विनोबाजी इतनी सफलतापूर्वक जन-शक्ति के आधार पर सामाजिक क्रान्ति और पुनर्निर्माण का ऐसा अद्भुत आन्दोलन खड़ा कर सके।

यदि इस आन्दोलन की रचना पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि दो काम इसके द्वारा साथ-साथ चल रहे हैं। विनोबाजी शुरू से कह रहे हैं, पहले मैं हृदय बदलूँगा और बाद में व्यक्ति का पूरा जीवन और तब इस तरह से पूरा समाज। शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन करना, इस आन्दोलन का मुख्य काम है। इस काम के भी दो पहलू हैं। पहला जाति, वर्ग और विचार-भेद को भुला कर सारे लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन में बैठे हुए उन विचारों, रास्तों और मूल्यों को छोड़ कर जो गलत और हानिकारक हैं, नये विचारों और नये मूल्यों को अपनाने के लिए समझा-बुझा कर राजी करना है। इस प्रकार की एक वैचारिक क्रान्ति शुरू हो गयी है।

मिसाल के तौर पर व्यक्तिगत मालकियत के प्रश्न को ले लें। अन्त में इसके कारण समाज में हिंसा और संघर्ष ही बढ़ते हैं। व्यक्तिगत मालकियत का विचार इसलिए गलत है और हानिकारक है। अब इसके स्थान पर यदि हम ट्रस्टीशिप के विचार को लेते हैं और उसे स्वीकार करके उस पर अमल करते हैं, तो आज के समाज में प्रचलित अनेक होड़ों और संघर्षों को मिटाने का एक रास्ता निकल आयेगा। परिणामस्वरूप समाज में एक मूलभूत परिवर्तन आ जायगा। यह बात ठीक है कि असली क्रान्ति तभी शुरू होती है, जब एक बार जिन लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि मालकियत समाज की होगी, व्यक्ति केवल ट्रस्टी होकर रहेगा, तुरन्त इस पर अमल कर दें और उनके पास जो कुछ भी है वे उसके ट्रस्टी मात्र रह जायें।

इस आन्दोलन का एक दूसरा अति महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यद्यपि ये नये विचार और नये मूल्य शुरू में बिलकुल असंभव-से लगते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता, कैसे मनुष्य मालकियत को एकदम छोड़ देगा। ऐसे आसान और छोटे-छोटे कदम इस आन्दोलन में रखे गये हैं कि धीरे-धीरे कमजोर-से-कमजोर व्यक्ति भी ऊपर से कठिन मालूम होने वाली इस मंजिल पर पहुँच सकता है। विनोबाजी कहते हैं, आपके पास जो कुछ भी है, वह धन हो, जमीन हो, बुद्धि-बल हो, शरीर-बल या जो भी दूसरी शक्ति हो, सब समाज का है, जो कुछ आपके पास है, उसके आप ट्रस्टी मात्र हैं। इसलिए उसमें जितना समाज आपको दे उससे अधिक आपका हिस्सा नहीं है। विनोबा इसलिए चाहते हैं कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसमें दूसरों का भी हिस्सा मानें। मान लो, एक सेठ है, उसकी तिजोरी में करोड़ों रुपये हैं। उसके लिए यह रास्ता आसान नहीं है। विनोबाजी ऐसे लोगों से कहते हैं, भाइयो! आपके पास जो है, उसका एक छोटा-सा हिस्सा समाज के लिए दे दो। इस तरह

इन लोगों के लिए भी आसान रास्ता मिल गया।

तेलंगाना में जब भूदान-आन्दोलन शुरू हुआ तो उनका आग्रह छूटे हिस्से पर नहीं था, बीसवें हिस्से की बात भी उस समय वे नहीं करते थे। उनका इतना ही आग्रह था कि कुछ दे दो। किन्तु वह सबसे कुछ-न-कुछ लेना जरूर चाहते थे। क्यों? क्योंकि कुछ देना भी यदि किसी एक ही व्यक्ति को होता तो उसके लिए कठिन हो जाता। अनैतिकता के वातावरण में नैतिक जीवन बिताना भी कठिन हो जाता है। उसके लिए बड़े साहस और ऊँचे नैतिक बल की जरूरत होती है। किन्तु जब चारों ओर गरीब और अमीर हर एक व्यक्ति समान रूप से प्रयत्न करते हैं तो कमजोर-से-कमजोर व्यक्ति के लिए भी ऊपर उठना सरल हो जाता है।

विनोबाजी सबसे और हर एक से देने को कहते हैं। वे यह नहीं मानते कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जिसके पास कुछ भी देने को न हो। "हैज और हैव नाट" का विभाजन केवल पूँजी को ही ध्यान में रखने वाले अर्थशास्त्रियों की सृष्टि है। ये लोग पहले तो इस प्रकार के वर्गभेद खड़े करते हैं, और फिर वर्ग-संघर्ष के लिए लोगों को भड़काते हैं। विनोबाजी कहते हैं, जब लोग एक ही वर्ग 'हैज' के हैं, यह अलग बात है कि सबके पास एक-सी पूँजी नहीं है। एक किसान में अपने खेत को जोतने-बोने की जो शारीरिक शक्ति है, वही उसकी पूँजी है और उसकी वह पूँजी किसी विद्वान और राकफेलर की पूँजी से घटिया नहीं है। अस्पताल में एक रोगी पड़ा है, उसके लिए प्रेम और सहायुभूति का एक शब्द ही सोने के ढेर से भी अधिक उपयोगी और कीमती होता है। विनोबाजी जब यह कहते हैं कि सब लोग एक ही वर्ग, 'हैज' के हैं और उनके पास जो है उनसे उसीको सबके साथ बाँटने को कहते हैं, तो एक ओर तो वे मनुष्यकृत इन कृत्रिम वर्गभेदों को चकनाचूर कर देने में लगे हैं

और दूसरी ओर मनुष्य-मनुष्य के बीच सहकार और सहजीवन का निर्माण वे कर रहे हैं।

इस आन्दोलन के दूसरे पहलू के सम्बन्ध में श्री जयप्रकाशजी कहते हैं :

"स्वावलम्बन और स्व-शासन का एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करना है, जिसके द्वारा लोग—पहले वे जो छोटी बस्तियों में रहते हैं—अपनी व्यवस्था स्वयं करना सीखें और नये विचारों और मूल्यों से प्रभावित होकर सामाजिक जीवन के नये स्वरूप और नयी संस्थाएँ खड़ी करने में एक-दूसरे के साथ सहकार करें। उदाहरण के लिए, भूदान के साथ-साथ व्यक्तिगत क्षेत्रीय स्वावलम्बन की दृष्टि से उत्पादन की योजना है, ग्रामदान का कार्यक्रम है, जो एक नवीन कृषीय अर्थ-व्यवस्था है और ग्राम-स्वराज्य है, जो गाँव-गाँव का राज्य कायम करने का कार्यक्रम है। भूदान, संपत्ति-दान और ग्रामदान के द्वारा अभिव्यक्त वैचारिक क्रान्ति और भूमि के ग्रामीकरण तथा ग्राम-स्वराज्य के द्वारा स्थापित गाँव के बाह्य संगठन में क्रान्ति, दोनों मिल कर एक संपूर्ण क्रान्ति का कार्यक्रम बन जाता है, जो हिंसक और वैधानिक दोनों प्रकार की क्रान्तियों से भिन्न है।"

भूदान-आन्दोलन की तारिखिक पृष्ठ-भूमि का और उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं पर चर्चा कर लेने के उपरान्त अब संक्षेप में उसके जीवन-वृत्त पर भी एक उड़ती नजर डाल लें। जैसा पहले कहा गया है, भूदान-आन्दोलन गांधीजी के उस आन्दोलन की सन्तति ही है।

गांधीजी की अचानक मृत्यु के बाद एक अन्धकार-सा सारे देश में छा गया। हम लोग अन्धेरे में टटोल रहे थे, कोई रास्ता गांधीजी की योजनाओं को कार्यान्वित करने का मिल जाय। आखिरकार उनकी मृत्यु के बाद जब सेवाग्राम में सब लोग मिले और विचार-मन्थन शुरू हुआ तो विनोबाजी ने एक रास्ता सुझाया। उन्होंने अपने अति युक्तियुक्त, सबकी समझ में आने वाले और साथ ही बिलकुल व्यावहारिक विचारों और दलीलों से हम सबके दिल-दिमाग में सर्वोदय-विचार की नींव डाली। उसके बाद से बहुत-से

प्रयोग इस दिशा में हुए, किन्तु कोई ऐसा वजनदार और सारभूत तरीका हाथ नहीं लगा, जिससे अपने देश के लोगों की मानसिक जड़ता को दूर करके पूरे राष्ट्र को फिर से चेतना दी जा सकती।

किसी आन्दोलन की, और फिर ऐसे आन्दोलन की कि जिसका लक्ष्य उच्च नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना हो, आँकड़ों में उसकी प्रगति का हिसाब लगाना संभव नहीं होता। फिर यह आन्दोलन तो अभी बढ़ने वाला है। नित्य बढ़ते रहने वाले आन्दोलन का अपना विशेष गणित होता है।

हमारा देश एक बहुत बड़ा कृषि-प्रधान देश है। सैकड़ों भाषाएँ और विभाषाएँ अपने यहाँ लिखी और बोली जाती हैं। ८३ प्रतिशत के लगभग हमारे लोग देहातों में रहते हैं। साक्षरता भी बहुत कम है। इतने थोड़े समय में भी यदि ३५ लाख एकड़ जमीन और लगभग ५०० ग्रामदान विनोबा को मिल गये तो यह कौन छोटा चमत्कार है! हमारा प्लानिंग कमीशन कहता है, कानून से 'सीलिंग' करके यदि लोगों से जमीन ली भी गयी तो ८-९ लाख एकड़ से अधिक जमीन नहीं मिलेगी। इस आन्दोलन के द्वारा ९ लाख एकड़ जमीन तो अब तक बँट भी चुकी है।

इस अहिंसा की प्रक्रिया के चमत्कार जमीनों को बाँटते समय दिखाई पड़ते हैं। एक गाँव के लोग एकराय होकर निर्णय करते हैं कि अमुक व्यक्ति को कुछ जमीन दी जाय, किन्तु जिसे अधिक जमीन दी जाने वाली है, वह खड़ा होकर कहता है, नहीं, मैं ज्यादा नहीं लूँगा। मेरे हिस्से में जितनी जमीन आये, उतनी ही मुझे दी जाय। फिर एक विधवा स्त्री को कुछ जमीन दी जाती है। गाँव के सब लोग मिल कर ही यह निर्णय करते हैं, किन्तु वह स्त्री उठ कर कहती है, मुझसे भी गरीब अमुक व्यक्ति है पहले उसे दी जाय, मैं बाद में ले लूँगी। ये हैं कुछ उदाहरण कि कैसे अहिंसा के रास्ते से पूरे समाज को प्रतिस्पर्धा की धुरी से हटा कर सच्चे और सजीव सहकार के ढाँचे में ढाला जा सकता है।

विदेशों से आने वाले मित्र प्रायः प्रश्न किया करते हैं, कितने कार्यकर्ता होंगे इस आन्दोलन में। प्रश्न ठीक ही है। भारत-वर्ष की लम्बाई-चौड़ाई और विशाल जन-समुदाय को देखते हुए, इसमें सन्देह नहीं कि केवल मुट्ठी भर व्यक्ति इस आन्दोलन में काम कर रहे हैं। किन्तु अपनी आजादी की जंग के समय तथा और कई दूसरे अवसरों पर इस आन्दोलन में हमने देखा है कि अहिंसक प्रक्रिया में गुण और गहराई नापनी होती है, हिंसक आन्दोलनों की तरह संख्या तथा लम्बाई और चौड़ाई नहीं।

अहिंसक क्रान्ति की इस पद्धति में नये विचारों और नये मूल्यों की 'डीप-कास्टिंग' याने उन्हें गहरे उतारने की जितनी जरूरत होती है, उनके 'ब्राड-कास्टिंग' की उतनी नहीं। गांधीजी कहा

केरल के एक ग्राम का आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण

के० श्रीकान्तन् नायर

केरल राज्य के त्रिवेन्द्रम जिले के चार तालुकों में नेड्डमानगड सबसे बड़ा तालुका है। नेड्डमानगड के पूर्वी सीमान्त पर वासनपुरम् ग्राम स्थित है। केरल राज्य की राजधानी से यह गाँव २० मील की दूरी पर बसा हुआ है। यह गाँव आठ कड़ाओं में विभक्त है, जिनमें से कीजचेरी को मद्रास विश्वविद्यालय के एमीकरचरल इकानामिक्स रिसर्च सेन्टर ने सर्वेक्षण के लिए चुना था। इस लेख में 'गाँव' शब्द का प्रयोग कड़ा के लिए किया गया है। यह जाँच अगस्त मास के मध्य में १९५८ में शुरू की गयी थी और लगभग ६ मास तक चलती रही।

केरल राज्य को प्राकृतिक आधार पर तीन क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है— निम्न भू-भाग, मध्य भाग और पहाड़ी भाग। कीजचेरी मध्यभाग में स्थित है और वह इस क्षेत्र के ग्रामीण भागों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भू-प्रदेश पहाड़ी है और इस गाँव में आठ पहाड़ियाँ हैं। इस गाँव की घाटी में धान उगाया जाता है, जब कि टैपियोका, नारियल, काठी मिर्च जैसी सूखी फसल आम, काजू के पेड़ों के अतिरिक्त लगायी जाती है। पहाड़ी भूमि की तुलना में इस गाँव की भूमि अधिक उपजाऊ है और धान की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है।

इस गाँव में प्रति वर्ष ७०" वर्षा होती है। यहाँ वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून से होती है। सिंचाई की सुविधाएँ इस गाँव को उपलब्ध नहीं हैं और खेती के लिए कृषक की पानी की आवश्यकता वर्षा से पूरी होती है। इस गाँव की पश्चिमी सीमा पर आतिगल नदी बहुत ही निचाई पर बहती है। इसलिए उसका पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध करना सम्भव नहीं होता।

संचार-साधन

गाँव में उपलब्ध वर्तमान संचार-साधन पर्याप्त नहीं माने जा सकते। कीजचेरी गाँव से आतिगल तक, जो तालुका हेडक्वार्टर है, एक कच्ची सड़क जाती है, जिस पर मोटर-गाड़ियाँ कीजचेरी से अन्य स्थानों तक चल सकती हैं। कीजचेरी गाँव से वामनपुरम् गाँव तक सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है और सड़क के निर्माण का कार्य पूरा होने पर कीजचेरी गाँव का सीधा सम्बन्ध प्रमुख केन्द्रीय सड़क से स्थापित हो जायगा।

इस गाँव से निकटतम रेलवे-स्टेशन १५ मील की दूरी पर है। वामनपुरम् का डाकखाना इस गाँव से डेढ़ मील दूर है। यहाँ तार और टेलीफोन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस सर्वेक्षण के समय इस गाँव को बिजली प्राप्त नहीं हुई थी।

करते थे, यदि तुम मुझे एक सच्चा सत्याग्रही दे दो तो मैं तुम्हारे लिए स्वतन्त्रता प्राप्त कर दूँ।

यह आन्दोलन इसलिए मनुष्य के अन्दर बैठे हुए प्रेम और करुणा के परमाणुओं को तोड़ कर एक ऐसा 'रि-एक्टर' बनाने की योजना और प्रक्रिया है, जिसकी मदद से मानव-समाज में अपना आधिपत्य जमा कर बैठे हुए भय, लोभ, अविश्वास और स्वार्थ आदि रिपुओं को उड़ाया जा सके। विनोबाजी ने कहा था, एटम बम का मुकाबला करने के लिए हमें 'आत्म-बम बनाना होगा।

[समाप्त]

शिक्षा और चिकित्सा

इस गाँव में केवल एक स्कूल है, जो सरकार ने सन् १९२८ में खोला था। इसमें पाँचवीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। १९५८ में इस स्कूल में शिक्षा पाने वालों की संख्या ४२८ थी। इस गाँव के निकटतम मिडिल स्कूल वामनपुरम् में है और निकटतम हाईस्कूल तीन मील दूरी पर है। कालेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस गाँव के छात्रों को त्रिवेन्द्रम जाना पड़ता है।

वामनपुरम् का सरकारी अस्पताल कीजचेरी गाँव के सबसे ज्यादा नजदीक है और बहुत-से गाँव के लोग इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। इस गाँव में दो आयुर्वेदिक अस्पताल भी हैं। सामान्यतः इस गाँव के रोगी त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज अस्पताल में जाते रहते हैं। राज्य के लोक-स्वास्थ्य विभाग ने कीजचेरी में एक दाईं नियुक्त की है और गाँव के लोग उसकी सेवाओं का फायदा उठाते हैं। लेकिन दो देशी दाइयाँ भी गाँव में यह काम करती हैं। गाँव के लोगों के अज्ञान और अंधविश्वास के कारण उनका काम भी अच्छा चलता है।

आमोद-प्रमोद

गाँव के लोगों के मनोरंजन के लिए गाँव में एक पुस्तकालय और उसके साथ लगा हुआ वाचनालय भी है। ग्राम-पंचायत के खेल के मैदान का उपयोग गाँव के किशोर वालीवाल तथा बैडमिंटन खेलने के लिए करते हैं। गाँव के बालक इस मैदान का उपयोग कबड्डी का खेल खेलने के लिए भी करते हैं।

स्थानीय प्रशासन

ग्राम-पंचायत में कीजचेरी गाँव के दो प्रतिनिधि हैं, जब कि ग्राम-पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या ८ है। इस संस्था के प्रमुख काम लोक-कार्यों की देख-रेख, गली की रोशनी, बाजार पर नियंत्रण, सफाई आदि हैं। वामनपुरम् से कीजचेरी तक सड़क-निर्माण का कार्य पंचायत के जरिये किया गया है और यह एक उल्लेखनीय सुलक्षण है।

कीजचेरी ग्राम और वामनपुरम् में गहरा भौगोलिक, प्रशासनिक और सामाजिक सम्बन्ध है। इतनी सुविधाओं के बावजूद यह गाँव पिछड़ी और गरीबी हालत में है।

जनसंख्या

१९५१ की जनगणना के अनुसार कीजचेरी की जनसंख्या २,१६६ थी, १९५८ में यहाँ की आबादी बढ़ कर २४३८ हो गयी और इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर में १.८ प्रतिशत वृद्धि हुई। इस गाँव की कुल आबादी में ४४.८ प्रतिशत १४ वर्ष तक आयु-वर्ग के लोग हैं। १५ और ५४ वर्ष के बीच की आयु के लोगों की संख्या ४४.२ प्रतिशत है।

इस गाँव के ६०.३ प्रतिशत व्यक्ति अविवाहित, ३२.२ प्रतिशत विवाहित, ५.१ प्रतिशत विधुर अथवा विधवा और शेष २.४ प्रतिशत परित्यक्त हैं। वैवाहिक विश्लेषण से प्रकट होता है कि यहाँ लड़कियों का विवाह १५ और २४ वर्ष के बीच हो जाता है और लगभग सभी का विवाह ३४ वर्ष की आयु तक हो जाता है।

साक्षरता

केरल राज्य का यह एक गाँव होने के नाते यहाँ साक्षरता का प्रतिशत काफी ज्यादा है। गाँव की कुल जनसंख्या में १३४८ व्यक्ति, अर्थात् ५५.३ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। साक्षर व्यक्तियों में ५७.३ प्रतिशत पुरुष हैं और ४२.७ प्रतिशत स्त्रियाँ हैं। ५ वर्ष से कम उम्र के बालकों को छोड़ कर शेष गाँव की आबादी में ६४.१ प्रतिशत लोग साक्षर हैं, जो अखिल भारतीय साक्षरता के प्रतिशत से चार गुना है। वयस्क व्यक्तियों में ५८.८ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। १३-१४ वर्ष के आयु-वर्ग के व्यक्तियों में ९०.५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। ६ से १२ वर्ष के आयु-वर्ग में साक्षरता का प्रतिशत ८६.८ है। व्यवसायों के अनुसार साक्षर व्यक्तियों का विभक्तीकरण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजदूर-वर्ग में साक्षरता का प्रतिशत निम्नतम है, अर्थात् ३६.५ प्रतिशत है। अन्य कार्य में साक्षरता का प्रतिशत ५० से ऊपर है और जिन परिवारों के सदस्य अध्यापन-व्यवसाय में लगे हुए हैं, उस वर्ग में साक्षरता सबसे ज्यादा है। इस गाँव में ४४ मैट्रिक पास व्यक्ति हैं और ५ व्यक्तियों ने विश्वविद्यालय-शिक्षा प्राप्त की है।

इस गाँव की पूरी आबादी को जाति के आधार पर बाँटने से गाँव की सामाजिक स्थिति का आभास मिलता है। नायर, नाडर और वारियर जाति के लोगों के अतिरिक्त शेष जनसंख्या (८६ प्रतिशत) अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग की है।

इस गाँव की कुल जनसंख्या का १०वाँ भाग हिन्दुओं का है और एक ईसाई को छोड़ कर शेष लोग मुसलमान हैं। हिन्दू १४ जातियों में बँटे हुए हैं और उनमें सबसे बड़ी संख्या इजहवा जाति के लोगों की है। इस गाँव में ज्यादातर इजहवा जाति के लोग रहते हैं, इसके बाद पिछड़ी और अनुसूचित जातियों का नम्बर आता है।

इस गाँव के लोगों के रहन-सहन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ के लोग गरीबी की हालत में रह रहे हैं।

निम्नलिखित तालिका में इस गाँव में विभिन्न जातियों के लोगों के आँकड़े दिये गये हैं।

तालिका : १ :

धर्म	जाति	जनसंख्या	गाँव की कुल जनसंख्या का प्रतिशत
हिन्दू	इजहवा**	१४००	५७.५४
	नायर	३३६	१३.८१
	असारी**	११७	४.८१
	नाडर	४९	२.०१
	थाचन**	३६	१.४८
	बारवर	५१	२.१०
	चेटियर**	१९	०.७८
	कुरवा***	१४८	६.०८
	पानर**	१३	०.५३
	पुलाया***	१९	०.७८
	वेडर***	२५	१.०३
	मानन***	८	०.३३
	वारियर	८	०.३३
	थानडन***	६	०.२५
	योग	२२३५	९१.८६
मुस्लिम		१९५	८.०१
ईसाई		३	०.१३
	योग	२४३३	१००.००

मालिकों के साथ रहने वाले ५ नौकरों की जाति का पता नहीं लगा।

** पिछड़ी जातियाँ।

*** अनुसूचित जातियाँ। [अपूर्ण]

'भूदान तहरीक'

संपादक : अहद फातमी
उर्दू पाक्षिक : सालाना चन्दा ३ रु०
अ० भा० सर्व सेवा संघ
राजघाट, काशी

भूदान-यज्ञ, शुक्रवार, ६ अप्रैल, '६२

म० प्र० सर्वोदय-मंडल की तीसरी वार्षिक बैठक वि-सर्जन आश्रम, इन्दौर में शुक्रवार २३ मार्च, ६२ को प्रातः साढ़े आठ बजे मंडल के अध्यक्ष श्री रामानंद दुबे की अध्यक्षता में हुई।

प्रदेश के १६ जिलों में ६० प्रतिनिधि और जिला-संयोजक इस बैठक में सम्मिलित हुए। कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मंडल के मंत्री श्री दीपचंद जैन ने प्रदेश-मंडल की गतिविधियों का वार्षिक विवरण और आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया।

‘बीघे में कट्टा’ अभियान

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ के परिपत्र के अनुसार विहार में अ० भा० स्तर पर होने वाले ‘बीघे में कट्टा-अभियान’ के लिए प्रदेश से की गयी अपेक्षा पर बैठक में गंभीरतापूर्वक विचार हुआ। बैठक में सम्मिलित होने वाले साथियों में से १७ मित्रों ने विहार में ‘बीघे में कट्टा’ अभियान के लिए अपना नाम दिया, साथ ही अपने-अपने जिलों से और भी साथियों को तैयार करने का वचन भी दिया। प्रयत्न यह रहेगा कि इस प्रदेश से की गयी अपेक्षा के अनुसार ३५ साथी विहार पहुँचें।

पंचायत-प्रशिक्षण

सन् '६२-'६३ में ग्राम-पंचायत-प्रशिक्षण विद्यालय प्रदेश-मंडल की देख-रेख में चलाने के बारे में श्री वि० स० खोड़ेजी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। निश्चय किया गया कि फिलहाल दो विद्यालय—एक सर्वोदय शिक्षण समिति, माचला (इंदौर) तथा दूसरा मानव-साधना-केन्द्र, मुरार (ग्वालियर) द्वारा चलाये जायँ। इन विद्यालयों की नैतिक जिम्मेदारी प्रदेश-सर्वोदय-मंडल की रहेगी। मंडल की प्रबंध-समिति ने पालिया (इंदौर) में २६ नवम्बर '६१ की अपनी बैठक में इस कार्य के लिए जो समिति बनाई थी, उसी को इस वार्षिक बैठक में यह अधिकार दिया गया कि वह प्रदेश-मंडल की ओर से इन दोनों विद्यालयों के मार्गदर्शन और निरीक्षण का काम करेगी। इस समिति के सदस्य श्री काशिनाथजी त्रिवेदी, श्री शंकरलाल जोशी और श्री वि० स० खोड़ेजी संयोजक रहेंगे। समिति को दो सदस्य और नामजद करने का अधिकार भी दिया गया।

भूमि-वितरण

प्रदेश में भूदान-यज्ञ में प्राप्त भूमि के वितरण पर काफी गंभीरतापूर्वक सोचा गया। विशेषकर महाकौशल क्षेत्र में वितरित भूमि आदाताओं के नाम चढ़वाने तथा वितरित भूमि में से जो भूमि अभी तक भूदान-यज्ञ मंडल में शासन की ओर से निहित नहीं हुई है, उसे निहित कराने की मूलभूत समस्याएँ हैं। इस विषय में निर्णय हुआ कि जिला-स्तर पर अधिकारियों से प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा निराकरण के लिए भरसक प्रयत्न किया जाय।

भूदान-यज्ञ, शुक्रवार, ६ अप्रैल, '६२

भूदान-मंडल के पदाधिकारी इस ओर विशेष ध्यान दें।

महाकौशल-क्षेत्र के लिए भूदान-मंडल

प्रदेश के महाकौशल-क्षेत्र के लिए भूदान-मंडल के सदस्यों के जो नाम श्री विनोबाजी के पास भेजे गये हैं, उसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय ने बैठक को दी। प्रस्तावित भूदान-मंडल इस प्रकार है :

- (१) श्री दादाभाई नाइक, अध्यक्ष
- (२) श्री रामानन्दजी दुबे, मंत्री
- (३) श्री गणेशप्रसाद नायक, सहमंत्री
- (४) श्री सेठ गोविन्ददास, सदस्य
- (५) श्री गंगाधरजी पाटणकर ,,
- (६) श्री हरिदास मंजुल ,,
- (७) श्री राजेन्द्र शुक्ल ,,

इस प्रस्तावित भूदान-मंडल की पुष्टि बैठक द्वारा की गयी। साथ ही यह भी अपेक्षा व्यक्त की गयी कि इस प्रकार जो भी भूदान-मंडल प्रस्तावित किये जायँ, वे प्रदेश-सर्वोदय-मंडल की प्रबंध-समिति के परामर्श से ही किये जाने चाहिए।

कार्य की भावी योजना

कार्य की भावी योजना पर विचार-विमर्श हुआ। आगामी वर्ष में निम्न कार्यक्रमों पर विशेष जोर देना तय हुआ।

- (१) प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्राथमिक जिला सर्वोदय-मंडल स्थापित किये जायँ। इसका प्रयत्न प्रदेश-मंडल करे।
- (२) भूदान-भूदान के विचार-प्रचार के लिए पद-यात्राओं का आयोजन किया जाय।
- (३) पंचायती-राज : स्वायत्त संस्थाओं में पञ्च-सुक्ति और सर्व-सम्मति का सिद्धांत प्रयोग में लाया जाय, इसके लिए नगर-सेविकाओं, ग्राम-पंचायतों और जन-पदों में प्रयत्न किया जाय। जिस क्षेत्र में विशेष अनुकूलता हो, वहाँ प्राथमिकता दी जाय।
- (४) अस्पृश्यता-निवारण : अस्पृश्यता-निवारण और भंगी-कष्ट-मुक्ति के कार्यक्रम, जो हरिजन सेवक संघ द्वारा चलाये जा रहे हैं, उनको सफल बनाने में विशेष प्रयत्न किये जायँ।
- (५) बुनियादी तालीम : बुनियादी तालीम की सरकारी शालाओं में कताई तथा अन्य उद्योगों के लिए जितना प्रावधान है, उन पर पूरी तरह से अमल

हो, इसका प्रयत्न शासकीय विभागों की सहायता से किया जाय।

(६) नशाबन्दी : मध्यप्रदेश में नशाबन्दी की दिशा में अभी तक शासन की ओर से आजादी के बाद कोई खास काम नहीं हुआ है। अब आवश्यक है कि नैतिक उत्थान के इस कार्यक्रम की ओर जनता और शासन, दोनों का ही ध्यान आकर्षित किया जाय। नशाबन्दी के लिए जन-आधारित तथा लोक-शिक्षण-प्रधान कार्यक्रम आयोजित किये जायँ। श्री देवेन्द्र-भाई द्वारा बैठक में नशाबन्दी के लिए एक योजना प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार शराब के आदतमन्दों के लिए पहिचान-पत्र पर नियत मात्रा में निश्चित स्थानों पर ही दवा के रूप में सामने पिलाने की व्यवस्था की जाय, जिससे कि वे इस आदत को दूसरों में न फैला सकें और इस प्रकार दी गयी शराब से किसी प्रकार का आर्थिक लाभ शासन न उठाये, जिससे कि अवैध शराब में लाभ समाप्त हो जाने से उसकी आसानी से रोकथाम की जा सके। साथ ही नशे के आदतमन्दों को समझा-बुझा कर तथा सामाजिक प्रभाव से उनकी शराब पीने की आदत छुड़ायी जाय। यह योजना सिद्धांततः बैठक में स्वीकार की गयी और निश्चय किया गया कि इस दिशा में अनुकूल वातावरण प्रत्येक जिले में बनाया जाय।

चम्बल-घाटी

चम्बल-घाटी क्षेत्र में श्री विनोबाजी के सामने बागियों के आत्म-समर्पण के बाद आत्म-समर्पणकारियों के सुकदमों की पैरवी, उनके परिवारों के पुनर्वास, उनके द्वारा पीड़ित परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए चम्बल घाटी शांति-समिति द्वारा किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप क्षेत्र में सद्भावना का जो वातावरण बना है, उसकी जानकारी श्री हेमदेव शर्मा ने दी। बैठक का यह मुद्दाव रहा कि “बागो-आत्म-समर्पण दिवस” १८-१९ मई को चम्बल-घाटी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का एक शिविर आयोजित किया जाय, जिससे पिछले कार्य के सिंहावलोकन के साथ भावी कार्य की रूपरेखा भी तय की जा सके।

भूमि-क्रांति

म० प्र० सर्वोदय-मंडल के साप्ताहिक मुल-पत्र “भूमि-क्रांति” के विषय में यह तय किया गया कि प्रदेश के हर जिले में कम-से-कम ५० ग्राहक और बनाये जायँ। गांधी स्मारक निधि से इस पत्रिका के घाटे की पूर्ति के लिए १२०००० रु० के अनुदान की माँग की जाय। ‘भूमि-क्रांति’ के प्रचार के लिए एक कार्यकर्ता को पूरे

समय के लिए रखा जाय। प्रदेश में जगह-जगह घूम कर वह प्रचार करे। पंचायत, शिक्षा विभाग और समाज-सेवा विभाग से परिपत्र निकलवा कर जिला कार्यालय को भिजवाए जायँ।

शांति-सेना-मंडल

प्रदेश में शांति-सेना के काम को बढ़ाने और सुव्यवस्थित बनाने के लिए श्री दीपचंदजी जैन को जिम्मेवारी सौंपी गयी।

सूत्रांजलि

सूत्रांजलि विषय में विचार होकर निश्चय किया गया कि इस वर्ष के सूत्रांजलि के आँकड़े श्री काशिनाथजी त्रिवेदी को भेजने के लिए जिला सर्वोदय-मंडलों को निवेदन किया जाय। साथ ही जिला सर्वोदय-मंडलों को निवेदन किया जाय कि वे सूत्रांजलि का छठा हिस्सा सर्व-सेवा-संघ प्रदेश-मंडल को भिजवा दें।

प्रदेश-सर्वोदय-मंडल का नया गठन

जिला-सर्वोदय-मंडलों के संयोजकों एवं प्रतिनिधियों द्वारा प्रदेश-सर्वोदय-मंडल के नवीन अध्यक्ष का नियमानुसार सर्व-सम्मति से चुनाव किया गया। श्री रामानन्दजी दुबे, रायपुर पुनः नये साल के लिए अध्यक्ष चुने गये। इसी प्रकार श्री हेमदेव शर्मा, ग्वालियर (मंत्री) तथा श्री देवेन्द्रकुमार गुप्त, इंदौर; श्री चतुर्भुज पाठक, छतरपुर; श्री सत्यनारायण शर्मा, सिवनी सहमंत्री चुने गये। कार्यकारिणी के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं।

श्री दादाभाई नाइक, वि-सर्जन आश्रम, नौलखा, इंदौर

श्री वि० स० खोड़ेजी, खरगोन
श्री गंगाधरजी पाटणकर, करजगाँव, बैतूल

श्री गणेश प्रसाद नायक, दीक्षित-पुरा, जबलपुर

श्री दीपचंद जैन, वि-सर्जन आश्रम, नौलखा, इंदौर

श्री काशिनाथजी त्रिवेदी, ग्राम भारती आश्रम, टवलई

श्री मुकुन्दलालजी बघेरवाल, गरोठ (मंदसौर)

श्री दामोदर प्रसादजी पुरोहित, छतरपुर

श्री पंथरामजी, मटंग (दुर्ग)

श्री संचालक, गांधी स्मारक निधि, छतरपुर

श्री मंत्री, वनवासी-सेवा-मंडल मंडला श्री मंत्राणी, कस्तूरबा ट्रस्ट, कस्तूरबा-ग्राम, इन्दौर

श्री अध्यक्ष, म० प्र० खादी-ग्रामोद्योग पर्षद, उज्जैन

श्री मंत्री, हरिजन-सेवक-संघ, इंदौर

म० प्र० का पाँचवाँ सर्वोदय-सम्मेलन निश्चय किया गया कि विध्य क्षेत्र के साथियों की इच्छा के अनुसार आगामी २० व २१ जून '६२ को छतरपुर में सम्मेलन का आयोजन किया जाय।

मद्य-निषेध के संबंध में शासन की दोहरी नीति खतरनाक

इंदौर के मद्य-निषेध कार्यकर्ता-संगोष्ठी में महत्त्वपूर्ण चर्चा

इंदौर में २६ मार्च '६२ को 'गांधी हाल' में श्री एन० डी० जोशी की अध्यक्षता में "मद्य-निषेध कार्यकर्ता-संगोष्ठी" हुई, जिसमें मध्य-प्रदेश के विभिन्न जिलों के निर्मांत्रित लगभग ६० कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से पूरे प्रांत में संपूर्ण मद्य-निषेध के व्यावहारिक एवं लोक-शिक्षणात्मक स्वरूप पर सविस्तार चर्चा की गयी। गोष्ठी में प्रमुख रूप से सर्वश्री रामसिंहभाई वर्मा, देवेन्द्रकुमार गुप्त, दीपचंद जैन, लहरसिंह भाटी, तात्यासाहब शिखरे, चुन्नीलाल महाराज के अतिरिक्त म० प्र० के मद्य-निषेध प्रचार अधिकारी श्री आनन्दरामजी त्रिवेदी ने अपने विचार व्यक्त किये।

गोष्ठी के प्रमुख प्रवक्ता श्री देवेन्द्र गुप्त ने कहा : "बगैर सोचे-समझे की गयी कानूनन नशाबन्दी समस्या का हल नहीं है, वरन् उससे उसे विकराल रूप मिल सकता है, क्योंकि एकाएक नशाबन्दी कर देने से हम मद्य-पान की पूर्ति पर ही नियंत्रण रखने में सफल होते हैं, पीने वालों पर कोई नियंत्रण रख पाना कठिन होता है, अतः वे लोग अवैधानिक शराब का आश्रय लेते हैं। इसलिए हमें नशाबन्दी की दिशा में मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना होगा, जिससे मद्य-पान की पूर्ति तो न हो सके, परन्तु उसकी माँग भी निरन्तर कम होती जाय। नये पीने वाले की संख्या न बढ़े, इसका भी विचार होगा। इसका यह उपाय सूझता है कि शराब के आदतमन्दों को पहिचान-पत्र पर नियत मात्रा में निश्चित स्थानों पर दवा के रूप में शराब पीने को दी जाय और नियत 'कोटे' में निरन्तर कमी की जाते रहे। यह बात देशी-विदेशी सभी प्रकार की शराब पर लागू की जानी चाहिए। इस प्रकार दी गयी शराब में शासन किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ न उठाये और संभव हो तो उसकी कीमतें इतनी कम कर दे, ताकि जिस लालच से अवैध शराब का आब निर्माण होना सुनाई देता है, उस पर अपने आप रोकथाम हो सकेगी। यह तो मद्य-मोचन का एक व्यावहारिक पहलू हो सकता है, परन्तु हमें लोक-शिक्षणात्मक पहलू भी अमल में लाने होंगे। शराब के आदतमन्दों को समझा-बुझा कर, उनसे निकट संपर्क कर और उन्हें विश्वास में लेकर सामाजिक प्रभाव के जरिये उनकी शराब छुड़वानी होगी। अतः यह आवश्यक है कि

नैतिक उत्थान तथा लोकशिक्षण, ये प्रधान कार्यक्रम अपनाये जायँ और लोक-पुरुषार्थ से इस दिशा में जो भी सम्भव हो वे कदम उठाये जायँ। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि सरकार मद्य-निषेध के अपने कर्तव्य से वंचित अथवा गाफिल रहे।"

गोष्ठी में वक्ताओं द्वारा इस बात पर खेद और आश्चर्य प्रकट किया गया कि एक ओर सरकार पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जनता के जीवन-विकास पर विदेशों से ऋण लाकर करोड़ों रुपया खर्च करे और दूसरी ओर सरकार और ठेकेदार

मिल कर शराब के ठेकों द्वारा शोषण करे, कमाई करे। यह कैसा खिलवाड़ है? शासन को मद्य-निषेध और शराब के ठेके नीलामी की इस दोहरी नीति को त्यागना चाहिए।

गोष्ठी की यह आम राय रही कि म० प्र० शासन सम्पूर्ण प्रांत में पूर्ण नशाबन्दी की दिशा में शीघ्रतिशीघ्र योग्य कदम उठा कर अन्य प्रांतों का मार्गदर्शन करे एवं सन् '६३-६४ से इन्दौर जिले तथा नगर में पूर्ण मद्य-निषेध लागू करे।

गोष्ठी में हुई चर्चाओं के आधार पर एक प्रतिवेदन भी तैयार किया जा रहा है, जिससे प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं रचनात्मक संस्थाओं को भेजा जा सके ताकि उनका भी पूरा-पूरा योग मद्य-निषेध को सफल बनाने में मिल सके।

म० प्र० सर्वोदय-मण्डल, इन्दौर का आय-व्यय पत्रक

१ जनवरी '६१ से २८ फरवरी '६२ तक

म० प्र० सर्वोदय-मंडल की वार्षिक बैठक वि-सर्जन आश्रम, इंदौर में हुई। उस वक्त पिछले वर्ष का हिसाब पेश किया गया था, वह यहाँ दिया जा रहा है।

खाता	आय रकम रु.-न.पै.	खाता	व्यय रकम रु.-न.पै.
पिछली बाकी	२५२४-१०	बैंक शेष	११७२-१५
अर्थ-संग्रह अभियान	१४७९-३७	स्थायी सामान	४३२-०९
सहायता	६-००	पेशगी	३२-२१
सूत्रांजलि	९१४-०५	विविध व्यय	९३-४२
विविध आय	१७-७४	डाकतार-टेलीफोन	६७५-९३
योग	४९४१-२६	मेहमान, सम्मेलन आदि	१७२-०९
		स्टेशनरी व छपाई	२११-९४
		प्रचार-प्रकाशन	३३-७३
		मकान, प्रकाश आदि	२१८-३३
		कार्यकर्तावृत्ति	३७२-०४
		कार्यकर्ताप्रवास	१४०७-२६
		म० प्र० शांति-सेना मंडल	५९-८३
		म० प्र० नशाबन्दी सम्मेलन	५८-५५
		बाकी	१-६९
		योग	४९४१-२६

शराब पीने की आदत छुड़ाने का प्रयत्न

श्री पी० एम० राजभोज को गृह-मंत्रालय के मंत्री श्री बलवंत नागेश दातार ने बताया कि दिल्ली में शराबियों की लत छुड़ाने के लिए ५ केन्द्र खोलने का विचार है। दिल्ली-प्रशासन इस पर विस्तार से जाँच-पड़ताल कर रहा है।

इस अंक में

ग्राम-स्वराज्य घोषणा	१	—
गृहस्थाश्रम से मुक्त होकर लोकसेवा में लगें	२	विनोबा
सम्पादकीय	३	सिद्धराज
धूसखोरी का इलाज क्या ?	४	काका कालेलकर
प्रयाग में शान्ति-सेना कार्य	५	बनवारीलाल शर्मा
खादी-ग्रामोद्योग : तालीम का कार्यक्रम	६	ध्वजाप्रसाद साहु
मैत्री-आश्रम	७	कुसुम देशपांडे
कार्यकर्ताओं की ओर से	८	बद्रीप्रसाद स्वामी
विश्व-शांति की कुंजी : भूदान	९	ओमप्रकाश गुप्त
केरल के एक ग्राम का आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण	१०	के० श्रीकान्तननायर
मध्यप्रदेश की चिह्नी	११	—
समाचार-सूचनाएँ	१२	—

बम्बई सर्वोदय-मंडल की वार्षिक सभा

बम्बई सर्वोदय-मंडल की वार्षिक सभा तारीख १७ मार्च को 'मणिभवन' में हुई। अध्यक्ष-स्थान श्री वैकुण्ठलाल भाई मेहता ने ग्रहण किया था। सर्वश्री अण्णासाहब सहस्रबुद्धे, मिनु मसानी, अन्य कार्यकर्ता तथा सर्वोदय-मित्र उपस्थित थे। प्रारम्भ में सन् १९६१ के कार्य का विवरण और आय-व्यय का हिसाब स्वीकृत किया गया। बाद में सन् '६२ का कार्यक्रम और बजट पेश किया गया।

सन् '६२ के लिए बम्बई सर्वोदय-मंडल के संयोजक श्री कान्तिनाथ वोरा तथा अ० भा० सर्व सेवा संघ के लिए बम्बई के प्रतिनिधि श्री राम देशपांडे सर्व-सम्मति से नियुक्त किये गये।

अन्त में श्री अण्णासाहब ने बम्बई के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और श्री वैकुण्ठलाल भाई के प्रवचन के पश्चात् मौन प्रार्थना से सभा समाप्त हुई।

अखाद्य तेल-बीज संग्रह प्रशिक्षण

अखाद्य बीज-संग्रह और उसका तेल निकालने के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम खादी-ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा सर्वोदय केन्द्र, खीमेल, पो० रानी, जिला पाली (राजस्थान) में १५ जून '६२ से प्रारम्भ हो रहा है। पाठ्यक्रम ६ मास का है। इस बीच प्रशिक्षणार्थी को ४५ रु० माहवार छात्रवृत्ति दी जायेगी। यदि स्थान की व्यवस्था वे स्वयं न कर सके, तो स्थान-व्यवस्था का ५ रु० माहवार प्रशिक्षणार्थी से लिया जायेगा। इस पाठ्यक्रम में सीमित स्थान हैं, इसलिए उपर्युक्त पत्र से शीघ्र आवेदन करें।

—व्यवस्थापक

नया प्रकाशन

"गीता-प्रवचन" का संस्कृत रूपान्तर

"गीता प्रवचनानि" प्रकाशित हो गयी!

- अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक
- अनुवाद मूल के निकटतम
- छपाई-सफाई सुन्दर
- मूल्य केवल ३)

प्रकाशक : अ० भा० सर्व सेवा संघ-प्रकाशन
राजघाट, काशी